

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492007

पंजीयन क्रमांक. 225 दिनांक 31.10.2000



पन्द्रहवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 29 सितम्बर 2014
समय : सायं 03.00 बजे
स्थान : संघ मुख्यालय के सभा कक्ष, रायपुर

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ
मर्यादित

ए-25 व्ही.आई.पी.इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

दूरभाष: (0771) 4065100 से 4065110 तक फ़ैक्स : 2283594

E-mail:mfpfed.cg@nic.in * E-mail:fed_raipur@cgmfpfed.org * Website:www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/संघ/सह./15वीं/वार्षिक आमसभा/2014/
/09/2014

रायपुर दिनांक

- 1 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर,
- 2 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा,
- 3 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा,
- 4 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर,
- 5 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कांकेर,
- 6 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोंडागांव,
- 7 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर कोण्डागांव,
- 8 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर
- 9 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर,
- 10 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर,
- 11 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़,
- 12 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बालोद,
- 13 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा,
- 14 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, राजनांदगांव,
- 15 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी,
- 16 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, गरियाबंद,
- 17 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुंद,
- 18 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलौदा-बाजार,
- 19 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर,

- 20 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही,
- 21 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर चांपा,
- 22 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़,
- 23 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़,
- 24 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा,
- 25 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा,
- 26 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर,
- 27 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मनेन्द्रगढ़,
- 28 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बलरामपुर,
- 29 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सूरजपुर,
- 30 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सरगुजा,
- 31 प्राधिकृत अधिकारी, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरिया,

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की पन्द्रहवीं (15वीं) वार्षिक साधारण सभा दिनांक 29.09.2014 की सूचना ।

संदर्भ :- कार्यालयीन पृ.पत्र क्रमांक/वनो/संघ/सह./15वीं/वार्षिक आमसभा/2014/9882 रायपुर दिनांक 27/08/2014.

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की पन्द्रहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 29.09.2014 दिन सोमवार को समय दोपहर 3.00 बजे संघ मुख्यालय के सभा कक्ष में आयोजित किया जाना है ।

वार्षिक आमसभा में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रत्येक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के प्राधिकृत अधिकारियों जो वर्तमान में संघ के सदस्य हैं, की उपस्थिति प्रार्थनीय है ।

नोट :- निर्धारित समय पर गणपूर्ति के अभाव में आयोजित वार्षिक आमसभा आधे घण्टे स्थगित होने के पश्चात 3.30 बजे से पुनः उसी स्थान पर प्रारम्भ की जावेगी ।

वार्षिक आमसभा का एजेण्डा पृथक से भेजा जावेगा ।

कार्यसूची

विषय क्रमांक 1	चौदहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 04.12.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।
विषय क्रमांक 2	वित्तीय वर्ष 2014-15 में किये गये कार्यों का विवरण ।
विषय क्रमांक 3	वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।
विषय क्रमांक 4	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट की स्वीकृति ।
विषय क्रमांक 5	वित्तीय वर्ष 2013-14 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।
विषय क्रमांक 6	वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के अंकेक्षण टीप, अंकेक्षक द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान कारक उत्तर प्रेषित करने बाबत ।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सभा में उपस्थिति प्रार्थनीय है । वार्षिक साधारण सभा की पुस्तिका संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

सही/-

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं
विकास सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर

विषय-सूची

अनुक्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	चौदहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 04.12.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	1-4
2.	वित्तीय वर्ष 2014-15 में किये गये कार्यों का विवरण ।	5-40
3.	वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।	41-47
4.	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट की स्वीकृति ।	48-53
5.	वित्तीय वर्ष 2013-14 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।	54-64
6.	वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के अंकेक्षण टीप, अंकेक्षक द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान कारक उत्तर प्रेषित करने बाबत ।	65

विषय क्रमांक - 1

**विषय :- चौदहवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 04.12.2013
के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की चौदहवीं वार्षिक आमसभा वर्तमान में संचालक मण्डल का अवसान होने से संचालक मण्डल की समस्त शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो गई हैं तथा वर्तमान में संचालक मण्डल कार्यरत नहीं है इसलिये संघ की आयोजित चौदहवीं आमसभा की अध्यक्षता हेतु संघ की उपविधि क्रमांक 14(3) के प्रावधानानुसार साधारण सभा की अध्यक्षता रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किये जाने का प्रावधान है । अतएव छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-2/सह/15 दिनांक 20.04.2001 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के आदेश क्रमांक/वनो/संघ/पंजी./2013/446 दिनांक 03.12.2013 द्वारा श्री अनिल कुमार साहू, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, नया मंत्रालय, रायपुर को संघ के 14वीं वार्षिक आमसभा की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत किया गया । श्री अनिल कुमार साहू, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, नया रायपुर की अध्यक्षता में 14वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 04.12.2013 दिन बुधवार को समय दोपहर 3.00 बजे से संघ मुख्यालय के सभा कक्ष में प्रारंभ की गई ।

बैठक के प्रारंभ में प्रबंध संचालक, संघ द्वारा वार्षिक आमसभा में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रत्येक जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के प्राधिकृत अधिकारी जो वर्तमान में संघ के सदस्य हैं, का हार्दिक स्वागत किया गया । तदुपरान्त आमसभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

आमसभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहे :-

- | | |
|---|----------------------|
| 1. श्री अनिल कुमार साहू,
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, नया मंत्रालय, रायपुर | अध्यक्ष |
| 2. श्री श्रीनिवास राव,
मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,
खैरागढ़, बालोद, कवर्धा एवं राजनांदगांव | प्राधिकृत
अधिकारी |
| 3. श्री ए.एच.कपासी,
वन संरक्षक, सरगुजा
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,
जशपुर नगर, मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा एवं कोरिया | प्राधिकृत
अधिकारी |

4. **श्री ओ.पी.यादव,**
वन संरक्षक, बिलासपुर
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,
बिलासपुर, मरवाही, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, धरमजयगढ़,
कोरबा एवं कटघोरा **प्राधिकृत
अधिकारी**
5. **श्री जे.आर.नायक,**
प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी संघ, दन्तेवाड़ा
वास्ते वन संरक्षक, जगदलपुर
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,
बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा, बीजापुर **प्राधिकृत
अधिकारी**
6. **श्री शकील खान,**
उप प्रबंधक, वनसंरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, रायपुर
वास्ते वन संरक्षक रायपुर
प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ,
धमतरी, गरियाबंद, महासमुन्द, बलौदा-बाजार **प्राधिकृत
अधिकारी**
7. प्राधिकृत अधिकारी जिला वनोपज सहकारी संघ (अनुपस्थिति की सूचना प्राप्त)
कांकेर, दक्षिण कोण्डागांव, उत्तर कोण्डागांव, नारायणपुर,
पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर **प्राधिकृत
अधिकारी**
8. **श्री ए.के.सिंह,**
प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.

चौदहवीं वार्षिक साधारण आमसभा की बैठक में श्री बी.एल.सरन, अपर प्रबंध संचालक, श्री यूनुस अली, कार्यकारी संचालक एवं श्रीमती संजीता गुप्ता, महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे ।

सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प (निर्णय)	की गई कार्यवाही
1.	तेरहवीं वार्षिक आमसभा दिनांक 23.03.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	चौदहवीं वार्षिक आमसभा द्वारा तेरहवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23.03.2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
2.	वित्तीय वर्ष 2013-14 में किये गये कार्यों का	वार्षिक आमसभा में संघ के प्रबंध संचालक, द्वारा वित्तीय	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।

	विवरण ।	वर्ष 2013-14 में किये गये कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया । जिस पर आमसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा चर्चा उपरान्त सहमति व्यक्त की गई ।	
3.	वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।	प्रबंध संचालक, द्वारा संघ में वर्ष 2014-15 में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का विवरण सभा में प्रस्तुत किया गया जिसका सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
4.	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बजट की स्वीकृति ।	वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये 14वीं साधारण सभा द्वारा प्रस्तावित बजट का अवलोकन कर चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
5.	वित्तीय वर्ष 2012-13 के वित्तीय पत्रको का अनुमोदन ।	वित्तीय वर्ष 2012-13 के वित्तीय पत्रकों का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया ।	कार्यालयीन पत्र क्रमांक 11732 दिनांक 01.10.2013 से पंजीयक को वित्तीय पत्रक की प्रति भेजी गयी ।
6.	वर्ष 2005-06 के शुद्ध लाभ के विभाजन का अनुमोदन ।	वर्ष 2005-06 के शुद्ध लाभ के विभाजन का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया ।	आमसभा के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में संघ की लेखा पुस्तक में प्रविष्टि कर दी गई है ।
7.	वर्ष 2006-07 के शुद्ध लाभ का विभाजन का अनुमोदन ।	वर्ष 2006-07 के शुद्ध लाभ के विभाजन का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया ।	आमसभा के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में संघ की लेखा पुस्तक में प्रविष्टि कर दी गई है ।
8.	वर्ष 2007-08 के शुद्ध लाभ का विभाजन का अनुमोदन ।	वर्ष 2007-08 के शुद्ध लाभ के विभाजन का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया ।	आमसभा के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 31.03.2014 की स्थिति में संघ की लेखा पुस्तक में प्रविष्टि कर दी गई है ।
9.	वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के अंकेक्षण टीप, अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं आय-व्यय पत्रकों की	वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के अंकेक्षण टीप एवं अंकेक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में संघ द्वारा की गई कार्यवाही	वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक अंकेक्षण आपत्तियों का समाधान कारक उत्तर प्रभारी अंकेक्षण को पत्र क्रमांक 15264 दिनांक

	स्वीकृति ।	(निराकरण प्रतिवेदन) पर तथा आय व्यय पत्रकों पर आमसभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई तथा निर्णय लिया गया कि विगत वर्षों की अंकेक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान कर उत्तर अतिशीघ्र भेजा जावें ।	24.02.2013 पत्र क्रमांक 31 दिनांक 02.01.2014 पत्र क्रमांक 463 दिनांक 09.01.2014 भेजा जा चुका है ।
अतिरिक्त विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से			
10.	आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत् ।	आगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति बाबत् प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु सर्व सम्मति से संपरीक्षक की नियुक्ति किये जाने हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर को अधिकृत किया गया ।	संपरीक्षक की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

अन्त में प्रबंध संचालक, संघ द्वारा सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का सभा में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया । तदुपरांत सभा की कार्यवाही समाप्त की गई ।

विषय क्रमांक - 2

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में किये गये कार्यों का विवरण ।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना -

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयों में दिनांक 31.08.2014 की स्थिति में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदों की संख्या संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाई गई है ।

(ii) तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना -

भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना अंतर्गत समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के है, बीमित है । इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रुपये 30,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रुपये 37,500/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रुपये 75,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितों को प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी.आई. में पढने वाले 2 बच्चों को रुपये 600/- प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त होती है । इस योजना के प्रीमियम की आधी राशि केन्द्र सरकार के द्वारा एवं शेष आधी राशि का 75 प्रतिशत राशि गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है तथा 25 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा की जा रही है । इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2014-15 में माह अगस्त 2014 तक कुल 102 व्यक्तियों को रुपये 0.12 करोड़ का दावा राशि का भुगतान किया गया है ।

शैक्षणिक वर्ष 2012-13 में छात्रवृत्ति हेतु कुल 93,703 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रुपये 11.3474 करोड़ की राशि वितरण हेतु जिला यूनियनों को भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

शैक्षणिक वर्ष 2013-14 में छात्रवृत्ति हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से एल.आई.सी.आई.डी. प्राप्त कर छात्रवृत्ति की सूची तैयार कर भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय को भेजकर छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही की जावेगी ।

(iii) सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा योजना -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया अतिरिक्त परिवार के शेष ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच है, लगभग 20,65,000 संग्राहकों के लिए पुरानी समूह बीमा योजना लागू की गई है । इस योजना के तहत संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर रुपये 3,500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रुपये 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रुपये 25,000/- की राशि देने का प्रावधान है । इस योजना हेतु संग्राहक को देय प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है । वर्ष

2014-15 में माह अगस्त 2014 तक कुल 120 व्यक्तियों को रूपये 0.123 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया ।

इसके अतिरिक्त अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक समूह बीमा योजना अंतर्गत मृत्यु की दशा में रूपये 6500/- का भुगतान हितग्राहियों को और किया जा रहा है । इस योजना के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2014-15 में माह अगस्त 2014 तक कुल 110 व्यक्तियों को रूपये 0.054 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया है ।

(iv) शिक्षा प्रोत्साहन योजना -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2011-12 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत :-

(क) मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा 8वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2000/-, कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 3000/- का पुरस्कार दिया जाता है । वर्ष 2013-14 में 3233 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.794 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है ।

(ख) व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे - इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है । जिसके तहत प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/- एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात् वर्षों में रूपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षों में 25,000/- की राशि उपलब्ध करायी जाती है । वर्ष 2013-14 में 252 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 20.55 लाख का भुगतान किया जा चुका है ।

(ग) गैर व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति :- प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा का चयन किया जाता है जिसने कि किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए., बी.एस.सी., बी. कॉम., आदि में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स में प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो, को प्रथम वर्ष में 5000/-, द्वितीय वर्ष में 4000/- तथा तृतीय वर्ष में 3000/- कुल तीन वर्षों में रूपये 12000/- की राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

वर्ष 2013-14 में कुल 909 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.4346 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है ।

(घ) **तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना :-** तेन्दूपत्ता संग्राहकों के प्रतिभाशाली बच्चों जिनके 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है उनको कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को 15000/- रुपये तथा कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रुपये 25000/- दिया जाता है ।

वर्ष 2013-14 में कक्षा 10वीं में कुल 353 छात्र/छात्राओं को राशि रुपये 52.95 लाख एवं कक्षा 12वीं में कुल 321 छात्र/छात्राओं को राशि रुपये 80.25 लाख का भुगतान किया गया ।

(v) **तेन्दूपत्ते का व्यापार -**

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2013 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दूपत्ता के कुल 950 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.44 लाख मानक बोरा में से 792 लाटों की 13.76 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 366.53 करोड़ में किया गया । इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 2664/- प्रति मानक बोरा है । शेष अविक्रित 158 लाटों की अधिसूचित मात्रा 2.68 लाख मानक बोरा के विरुद्ध 1.81 लाख मानक बोरा का विभागीय संग्रहण हुआ । वर्ष 2013 में तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर रुपये 1200/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई ।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 792 लाटों में से 4 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 788 लाटों में 12.91 लाख मानक बोरा का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 344.99 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 2672/- प्रति मानक बोरा रहा । अविक्रित 158 लाटों में से 41 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, 1 लाट क्रमांक 859 के 2 लाट बनाये गये । इस प्रकार 118 लाटों में 1.80 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया । प्रदेश में कुल 906 लाटों में कुल 14.71 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण हुआ है । गोदामीकृत लाटों में से 77 लाटों की मात्रा 113717.020 मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 12.76 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 1122/- प्रति मानक बोरा रहा ।

शेष अविक्रित 41 लाटों में 0.66 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ते का विक्रय माह सितम्बर 2014 से मार्च 2015 में की जावेगी । जिला यूनियनवार निवर्तित लाटों तथा अनिवर्तित लाटों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'ख-1' एवं परिशिष्ट 'ख-2' में संलग्न है ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2014 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दूपत्ता के कुल 950 लाट बनाये गये है, उक्त समस्त लाटों की अधिसूचित मात्रा 16.44 लाख मानक बोरा में से 802 लाटों की 13.90 लाख मानक बोरा अग्रिम में विक्रय रु. 336.40 करोड़ में किया गया । इस प्रकार औसत विक्रय दर रु. 2419/- प्रति मानक बोरा है । शेष अविक्रित 148 लाटों की अधिसूचित मात्रा 2.53 लाख मानक बोरा में से 1.28 लाख मानक बोरा का विभागीय संग्रहण किया गया । वर्ष 2014 में तेन्दूपत्ते की संग्रहण दर रुपये 1200/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई ।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 802 लाटों में से 1 लाट में संग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार 801 लाटों में 13.00 लाख मानक बोरा का संग्रहण

हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 313.19 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 2408/- प्रति मानक बोरा रहा। अविक्रित 148 लाटों में से 49 लाटों में संग्रहण नहीं हुआ, 99 लाटों में 1.27 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का विभागीय संग्रहण कर भण्डारण किया गया। कुल लगभग 14.28 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण हुआ है जिसके आधार पर लगभग 171.40 करोड़ रुपये संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उपलब्ध हुआ। गोदामीकृत लाटों में से 10 लाटों की मात्रा 11091.630 मानक बोरा का विक्रय राशि रु. 2.46 करोड़ तथा औसत विक्रय दर रु. 2222/- प्रति मानक बोरा रहा।

शेष अविक्रित 89 लाटों में 1.16 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ते का विक्रय माह सितम्बर 2014 से मार्च 2015 में की जावेगी। जिला यूनियनवार निवर्तित लाटों तथा अनिवर्तित लाटों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'ग-1' एवं परिशिष्ट 'ग-2' में संलग्न है।

(vi) सालबीज का व्यापार -

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश के 13 सालबीज उत्पादक जिलों में वर्ष 2013 में संग्रहित होने वाले सालबीज अग्रिम निर्वर्तन में प्रदेश की 37 इकाइयों में 2.43 लाख क्विंटल सालबीज संग्रहण का अनुमान था, जिसमें से 17 इकाइयों की अनुमानित 1.72 लाख क्विंटल मात्रा का अग्रिम में विक्रय हुआ था। अग्रिम विक्रय में सालबीज की औसत विक्रय दर रुपये 901/- प्रति क्विंटल रही थी। 20 इकाइयों का अग्रिम निर्वर्तन नहीं हो सका था। जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में निर्वर्तित 17 इकाइयों में से 9 इकाइयों में 1287.51 क्विंटल सालबीज का संग्रहण हुआ, जिसका विक्रय मूल्य रु. 0.11 करोड़ है। अविक्रित 20 इकाइयों में सालबीज का संग्रहण नहीं हुआ। इस वर्ष सालबीज फसल अच्छी नहीं होने के कारण कुल 1287.51 क्विंटल सालबीज संग्रहित हुआ लाटवार/जिला यूनियनवार विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 'घ' में संलग्न है। संग्रहण वर्ष 2013 के सालबीज संग्राहकों को रु. 750/- प्रति क्विंटल की दर से संग्रहण पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया गया, जिससे कुल रुपये 9.66 लाख संग्राहकों को उपलब्ध कराये गये।

(vii) हर्षा का व्यापार -

संग्रहण वर्ष 2013-14 में कुल 39 इकाइयों की अधिसूचित मात्रा 49050 क्विंटल हर्षा में से 21 इकाइयों का 36950.00 क्विंटल हर्षा का अग्रिम विक्रय हो चुका है, जिसका विक्रय मूल्य रुपये 3.06 करोड़ तथा औसत विक्रय मूल्य रु. 828/- प्रति क्विंटल है। अग्रिम में विक्रित इकाइयों में 13098.57 क्विंटल हर्षा एवं 538.75 क्विंटल कचरिया का संग्रहण किया गया है, जिसका विक्रय मूल्य रुपये 1.18 करोड़ है तथा औसत विक्रय मूल्य रु. 831/- प्रति क्विंटल है। अग्रिम में अविक्रित इकाइयों में 1451.228 क्विंटल हर्षा एवं 83.22 क्विंटल कचरिया संग्रहण कर गोदामीकृत किया गया है। दिनांक 28.06.2014 एवं दिनांक 26.08.2014 की निविदाओं में 4 इकाइयों का 1140.510 क्विंटल हर्षा एवं 83.22 क्विंटल कचरिया का विक्रय रुपये 0.11 करोड़, औसत विक्रय मूल्य रु. 804/- प्रति क्विंटल में किया गया। संग्रहण वर्ष 2013-14 में हर्षा की संग्रहण दर रु. 650/- प्रति क्विंटल, कचरिया की रु. 1300/- प्रति क्विंटल तथा बाल हर्षा की रुपये 2275/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई हैं।

शेष इकाईयों की 310.718 क्विंटल हरा का विक्रय माह सितम्बर 2014 से मार्च 2015 में की जावेगी। संग्रहण वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों की विस्तृत जानकारी क्रमशः परिशिष्ट 'ड', एवं 'च' में संलग्न है।

(viii) गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) का व्यापार -

कुल्लू वृक्षों में पुनरुत्पादन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कुल्लू गोंद संग्रहण दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है। संघ द्वारा इन जिलों में कुल्लू गोंद संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में अग्रिम में नियुक्त क्रेता माध्यम से कराया जा रहा है। शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2013-14 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी के लिये संग्रहण दर रु. 27000/- प्रति क्विंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रु. 20250/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है तथा प्रदेश की 5 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 360 क्विंटल में से 4 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 330 क्विंटल का अग्रिम विक्रय रु. 0.91 करोड़ में किया गया। औसत विक्रय दर रु. 27536/- प्रति क्विंटल प्राप्त हुई है। जिला यूनियनों से प्राप्त जानकारी अनुसार अभी तक गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) द्वितीय श्रेणी का 18.40 क्विंटल गोंद का संग्रहण हुआ है।

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2014-15 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी के लिये संग्रहण दर रु. 27000/- प्रति क्विंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रु. 20250/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है तथा प्रदेश की 5 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 410 क्विंटल के विक्रय हेतु दिनांक 28.06.2014 एवं 26.08.2014 को आनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की गई थी परंतु कोई भी इकाई विक्रीत नहीं हो सकी।

संग्रहण वर्ष 2014-15 की शेष 1 इकाई की 30 क्विंटल तथा संग्रहण वर्ष 2014-15 की अविक्रीत 5 इकाईयों का विक्रय माह सितम्बर 2014 से मार्च 2015 में की जावेगी। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के कुल्लू गोंद के संग्रहण एवं विक्रय का जिला यूनियनवार विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'छ' एवं 'ज' में संलग्न है।

(ix) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल) -

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2013-14 हेतु धावड़ा की संग्रहण दर रु. 2900/- प्रति क्विंटल तथा खैर/बबूल की संग्रहण दर रु. 1740/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई। संग्रहण वर्ष 2013-14 में कुल 21 इकाईयों अधिसूचित मात्रा 955 क्विंटल में से 10 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 570 क्विंटल का अग्रिम विक्रय रु. 0.18 करोड़ में किया गया। औसत विक्रय दर रु. 3239/- रही है। जिला यूनियनों से प्राप्त जानकारी अनुसार अभी तक गोंद वर्ग-2 (धावड़ा गोंद) का 1.00 क्विंटल गोंद का संग्रहण हुआ है।

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2014-15 हेतु धावड़ा की संग्रहण दर रु. 2900/- प्रति क्विंटल तथा खैर/बबूल की संग्रहण दर रु. 1740/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई। संग्रहण वर्ष 2014-15 में कुल 21 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 920 क्विंटल में से 2 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 60 क्विंटल का अग्रिम विक्रय रु. 0.02 करोड़ में किया गया। औसत विक्रय दर रु. 3511/- रहा है।

संग्रहण वर्ष 2014-15 की शेष 11 इकाईयों की 385 क्विंटल तथा संग्रहण वर्ष 2014-15 की अविक्रीत 19 इकाई की 860 क्विंटल का विक्रय माह सितम्बर 2014 से

मार्च 2015 में की जावेगी। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों का विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट 'झ' एवं 'ज' में संलग्न है।

(x) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना - भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज संग्राहकों को पर्याप्त संग्रहण मूल्य उपलब्ध हो, इसलिए **“Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP”** योजना लागू की गई है। उक्त योजना अंतर्गत प्रदेश में निम्न वनोपज का संग्रहण कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज के क्रय हेतु वनोपज संघ को भारत सरकार द्वारा रु. 43.65 करोड़ एवं राज्य सरकार द्वारा रु. 13.22 करोड़ इस प्रकार कुल रु. 56.87 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। उक्त योजना की जिला स्तर पर समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है तथा राज्य स्तर पर उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **“राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति”** का गठन राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2 दिनांक 25.07.2014 द्वारा किया गया है।

1. **सालबीज** - उक्त योजनान्तर्गत सालबीज का समर्थन मूल्य रु. 10/- प्रति किलो घोषित किया गया है। प्रदेश में सालबीज जो पूर्व में विनिर्दिष्ट वनोपज थी, को राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.05.2014 जारी कर विनिर्दिष्ट वनोपज की सूची से विलोपित किया गया तथा भारत शासन की उक्त योजना के अन्तर्गत क्रय करने का निर्णय लिया गया। संघ द्वारा संग्रहण वर्ष 2014 में उक्त राशि से समर्थन मूल्य रु. 10/- प्रति किलो पर सालबीज का क्रय प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से कराया गया। योजना के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2 दिनांक 26.05.2014 द्वारा समस्त कलेक्टर एवं प्रबंध संचालक, जिला यूनियनों को विस्तृत निर्देश दिये गये। विभिन्न जिला यूनियनों में प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा 1.25 लाख क्विंटल सालबीज का संग्रहण किया गया, जिसके निवर्तन हेतु दिनांक 25.09.2014 को ई-निविदाएँ आमंत्रित की गई है।

माह सितम्बर 2014 से मार्च 2015 की अवधि में संग्रहित सालबीज का विक्रय की कार्यवाही जावेगी।

2. **हरा** - उक्त योजनान्तर्गत हरा का समर्थन मूल्य रु. 11/- किलो घोषित किया गया। हरा जो पूर्व में विनिर्दिष्ट वनोपज थी, राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 19.08.2014 जारी कर विनिर्दिष्ट वनोपज की सूची से विलोपित की गई। संग्रहण वर्ष 2014-15 में उक्त राशि से समर्थन मूल्य रु. 11/- प्रति किलो पर हरा का क्रय प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से संग्राहकों से प्रारंभ किया जावेगा। योजना के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक एफ 13-7/2012/10-2 दिनांक 02.09.2014 द्वारा समस्त कलेक्टर एवं प्रबंध संचालक, जिला यूनियनों को विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

3. **इमली** - उक्त योजनान्तर्गत इमली का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 22/- प्रति किलो की दर पर माह फरवरी 15 से अप्रैल 15 में क्रय कर विक्रय किया जावेगा ।

(xi) वर्ष 2012 एवं वर्ष 2013 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण-

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2012 में कुल 17.15 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था । उक्त तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 310.42 करोड़ 896 समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई । जिला यूनियनवार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा उक्त में से राशि रूपये 310.04 करोड़ जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की जा चुकी है, शेष राशि का वितरण कार्य प्रगति पर है । संग्रहण वर्ष 2012 में जिला यूनियनवार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'ट' में संलग्न है ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2013 में कुल 14.71 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था । उक्त तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि लगभग रूपये 70.00 करोड़ 896 समितियों में शासन आदेश उपरांत वितरित किया जावेगा ।

(xii) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 तक राशि जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है । उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश समय-समय पर जिला यूनियनों को दिए गए हैं । वर्ष 1998 से वर्ष 2007 तक जिला यूनियनवार कुल उपलब्ध कराई गई राशि रु. 93.98 करोड़ एवं प्राथमिक समितियों द्वारा कराये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि रु. 77.75 करोड़ का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ठ' में संलग्न है ।

(xiii) वन एवं वनोपज विकास के कार्य

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ (व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध राशि) के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जिसमें वन क्षेत्र में राजस्व क्षेत्र में वन विभाग के सहयोग से लघु वनोपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु संरक्षण, संवर्द्धन एवं रोपण कार्य कराये जाते हैं । इस योजना के

तहत वनमंडल के अतर्गत आने वाले प्राथमिक वनोपज समितियों के क्षेत्र में निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाते हैं :-

1. वन विहीन राजस्व एवं वन विभाग की भूमियों पर स्थानीय मिश्रित प्रजातियों का रोपण ।
2. विभिन्न समितियों के वन विहीन उपयुक्त क्षेत्रों के बांस रोपण ।
3. विभिन्न समितियों के क्षेत्र में परम्परागत रूप से विद्यमान लघु वनोपज जैसे हर्षा, आंवला, बहेड़ा, माहुल पत्ता, ईमली एवं अन्य प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का बिगड़े वन क्षेत्र में रोपण ।
4. बिगड़े वन क्षेत्रों में सुधार एवं प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का रोपण ।
5. बिगड़े वन क्षेत्रों में तथा उससे लगे हुए रिक्त राजस्व वन क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य तथा स्थानीय वनोपज प्रजातियों के रोपण का कार्य ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 1998 से 2004 एवं सालबीज संग्रहण वर्ष 2007 की उक्तानुसार आय की रूपये 55.47 करोड़ की राशि से वन एवं वनोपज के विकास संबंधी कार्य कराये जाने हैं । इस हेतु जिला यूनियनों को रूपये 55.47 करोड़ की राशि उपलब्ध भी कराई जा चुकी है । जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार 40.96 करोड़ के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं । जिला यूनियनवार इस हेतु उपलब्ध राशि एवं संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का वर्षवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ड' में संलग्न है ।

(xiv) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटीकरण -

संघ मुख्यालय स्तर पर लेखा संधारण का कार्य "टैली साफ्टवेयर" के माध्यम से किया जा रहा है । लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई ही है, लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ है । संघ के वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक, लाभ-हानि पत्रक, बैलेंसशीट) तैयार किये जा चुके हैं । इस प्रकार वनोपज संघ लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन है ।

(xv) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्पूर्व मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ है । उक्त विभाजन में आस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

(xvi) बैंकिंग व्यवस्था में सुधार -

वनोपज के क्रेताओं को देश के किसी भी स्थान से विक्रय मूल्य एवं अन्य देय राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई है। यह सुविधा संघ के भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के खातों में उपलब्ध है। इस सुविधा के अतिरिक्त लघु वनोपज संघ द्वारा पूर्व प्रक्रिया अनुसार जारी की जा रही मनी रसीद के अतिरिक्त नई प्रक्रिया के अनुसार I.C.I.C.I. Bank Ltd. के माध्यम से ऑनलाइन मनी रसीदें जारी की जाने हेतु व्यवस्था दिनांक 05.05.2014 से लागू की गई है। इस नई प्रक्रिया के अनुसार लघु वनोपज संघ के वेबसाइट www.cgmfpfed.org के मुख पृष्ठ (Home Page) में एक Link **Online Payment Module** उपलब्ध कराया गया है। क्रेता द्वारा उक्त Link को Click करने पर एक इनपुट फार्म खुलेगा, उक्त फार्म में राशि जमा करने वाले क्रेता द्वारा क्रमशः क्रेता का नाम, पी.टी.एन., ई-मेल, मोबाईल क्रमांक, जिला यूनियन का नाम, वनोपज का नाम, संग्रहण वर्ष, लाट क्रमांक, विक्रय मूल्य, वन विकास उपकर, मूल्य संवर्धन कर (VAT), आय कर, ब्याज, गोदाम किराया एवं पुर्नजीवन शुल्क की प्रत्येक लाट हेतु पृथक-पृथक फार्म में पूरी जानकारी भरने के उपरांत Submit Button को क्लिक करने के बाद एक चालान प्रदर्शित होगा, क्रेता उक्त चालान का प्रिन्ट लेकर चालान में अंकित जानकारियों को बैंक द्वारा RTGS हेतु निर्धारित फार्म में भरकर चालान में अंकित राशि को RTGS करेगा। क्रेता द्वारा RTGS करने एवं राशि संघ के खाते में जमा होने की पुष्टि पश्चात् ऑनलाइन मनी रसीद संबंधित जिला यूनियनों, क्रेता एवं संघ मुख्यालय को ई-मेल द्वारा स्वतः प्राप्त हो जावेगी। लघु वनोपज संघ मुख्यालय द्वारा ई-मेल से प्राप्त उक्त मनी रसीदों के आधार पर प्राप्त राशि का मिलान संबंधित बैंक खाता से करने के बाद संघ की लेखा पुस्तिका में प्रविष्टि कर उक्त मनी रसीदों का विवरण संघ मुख्यालय का प्रमाणक दिनांक निम्न प्रपत्र में संघ की वेबसाइट में प्रत्येक दिवस प्रदर्शित होगी। इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों द्वारा क्रेताओं द्वारा जमा कराई गई राशि को बैंकिंग के माध्यम से सीधे संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खाते में जमा कराई जा रही है।

जिला वनोपज यूनियनों को विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के लिये पूर्व वर्षों में संघ के भारतीय स्टेट बैंक खाता क्रमांक 30735345823 से राशि आहरण के अधिकार प्रदान किये गए थे किन्तु जिला स्तर पर उक्त खाते से भुगतान में आ रही कठिनाईयों के कारण अब वर्तमान में जिला यूनियनों के कार्यों के सम्पादन हेतु पंजाब नेशनल बैंक रायपुर में सेन्ट्रल पी.एन.बी. फण्ड मैनेजमेण्ट (एफ मोड्यूल) योजना के तहत खाता क्रमांक 00399005900000058 सेन्ट्रल खाता खोला गया है एवं इसी खाते की आई.डी. सहित समस्त जिला यूनियनों के मुख्यालय पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा में जिला यूनियनों के शून्य बैलेन्स खाते खोले गये हैं। जिसके परिचालन के अधिकार भी प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिये गए हैं। इस व्यवस्था के तहत जिला यूनियन आवश्यकतानुसार उक्त खाते से प्रतिदिन राशि रु. 2.00 करोड़ तक के भुगतान कर सकती है एवं उनके द्वारा आहरित/भुगतान की गई राशि प्रतिदिन रायपुर स्थित सेन्ट्रल खाते से जिलों में स्थित बैंक खातों में स्थानान्तरित कर दी जाती है।

(xvii) महिला तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चप्पल का वितरण -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दशति हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गतवर्ष की भाँति ही प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चप्पल वितरित करने का निर्णय लिया गया है। फलस्वरूप वर्ष 2014-15 में 12.52 लाख जोड़ी चप्पल रूपये 135.20 प्रति जोड़ी की दर से क़य कर वितरित की जा रही है। जिला यूनियनवार उपलब्ध कराई गई चप्पल एवं वितरण की जानकारी 'परिशिष्ट-ड' में संलग्न है। इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन से रूपये 17.99 करोड़ की राशि वर्ष 2014-15 में संघ को उपलब्ध करायी गयी है।

(xviii) तेन्दूपत्ता कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को देय नगद प्रोत्साहन राशि।

विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी जो अपने कार्य के अतिरिक्त तेन्दूपत्ता संग्रहण/भण्डारण कार्य संपादित करते हैं, उन्हें वर्ष 2014 व आगामी वर्षों हेतु पूर्व में देय प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की जाकर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जा रहा है -

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी	राशि
1.	जोनल अधिकारी	4000/-
2.	परिक्षेत्र अधिकारी, पोषक अधिकारी, फड़ अभिरक्षक (प्रत्येक फड़ हेतु केवल एक) गोदाम प्रभारी एवं गोदाम पर कार्य करने वाले कर्मचारी, तेन्दूपत्ता परिवहन अधिकारी, वनमंडलाधिकारी/वनसंरक्षक के स्टेनोग्राफर, प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय/वनमंडल कार्यालय एवं वन संरक्षक कार्यालय में तेन्दूपत्ता शाखा में पदस्थ लिपिकीय अमला।	3000/-
3.	वन संरक्षक, प्रबंध संचालक एवं जोनल अधिकारियों के वाहन चालक एवं अन्य वाहन चालक, परिक्षेत्र कार्यालय में कार्यरत लिपिक।	1800/-

उन समितियों के फड़ अभिरक्षक, पोषक अधिकारी एवं जोनल अधिकारी को उपरोक्तानुसार दर्शाई राशि का 75 प्रतिशत ही देय होता है, जिनका पत्ता संग्रहण से पूर्व अग्रिम में विक्रय होकर क्रेता नियुक्त हो चुका है।

अधिकारियों/कर्मचारियों को देय नगद प्रोत्साहन राशि की 50 प्रतिशत राशि तेन्दूपत्ता संग्रहण प्रारंभ होने के पूर्व अग्रिम के रूप में तथा शेष 50 प्रतिशत राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त समीक्षाकर संबंधित का कार्य संतोष जनक होने पर भुगतान किया जाता है।

(xix) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा -

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2009-10 से बीमा कराया जा रहा है, ताकि प्रबंधक की मृत्यु की दशा में राशि रूपये 25,000/- उसके आश्रित को उपलब्ध हो सके। प्रबंधकों की बीमा प्रीमियम की राशि का एकमुश्त भुगतान संघ मुख्यालय द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2013-14 में 877 समिति प्रबंधकों का बीमा, जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजनांतर्गत कराया गया था। वर्ष 2014-15 में 867 समिति प्रबंधकों के लिये पुनः समूह

बीमा योजना का नवीनीकरण कराया गया है, जो दिनांक 18.03.2014 से 17.03.2015 तक मान्य रहेगा। समूह बीमा योजना की मास्टर पॉलिसी नम्बर ई.जी.आई. 151281 है।

(xx) वनोपज सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मण्डल

वर्ष 2008 में 896 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा 32 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों में संचालक मण्डल की गठन की प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा प्रदेश में प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर में संचालक मण्डल के गठन हेतु निर्वाचन कराया गया था। प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का कार्यकाल क्रमशः 02.05.2013, 06.05.2013 तथा 09.05.2013 को समाप्त हो गया है। इसी प्रकार जिला यूनियन का दिनांक 06.07.2013 को एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का दिनांक 11.09.2013 को कार्यकाल समाप्त हो गया है। अतः प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में बहिर्गामी प्रबंध समिति के कार्यकाल का अवसान हो जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) के अधीन कार्यवाही करते हुये समस्त समितियों में प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार जिला वनोपज सहकारी यूनियनों में भी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 49(4)(8) के तहत प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज सहकारी संघ में भी बहिर्गामी प्रबंध समिति के संचालकों द्वारा स्वमेव पद रिक्त किये जाने से संचालक मण्डल की समस्त शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो गई है।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन 2012) अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सहकारी समितियों में संचालक मण्डल के गठन हेतु निर्वाचन कराये जाने का अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को विभिन्न पत्रों द्वारा निर्वाचन कराये जाने हेतु लेख किया गया है, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की कार्यवाही अभी तक प्रारंभ नहीं की गई है।

(xxi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 दिनांक 12 दिसम्बर 2011 से प्रवृत्त हो गया है। इस नियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम दिनांक 14 दिसम्बर 2011 से प्रवृत्त किये गये हैं।

वन विभाग, रायपुर की अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 2011 में छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ एवं उससे संबद्ध जिला यूनियनों व प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा प्रदाय करने की अवधि, पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी के पदनाम अधिसूचित किये गये हैं। इस अधिनियम में तेन्दूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना, तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया हेतु जनश्री बीमा योजना तथा उससे जुड़ी छात्रवृत्ति, तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण, तेन्दूपत्ता एवं सालबीज के संग्रहण पारिश्रमिक वितरण एवं चरणपादुका वितरण आदि के कार्यों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

संघ मुख्यालय द्वारा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को अधिनियम की प्रति भेजते हुये अधिनियम, नियम एवं अधिसूचना के मुख्य-मुख्य प्रावधानों से समिति प्रबंधको को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित करने संबंधी निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम 2011 के क्रियान्वयन से संबंधित जिला यूनियन की एकजाई जानकारी भेजने हेतु समस्त वन संरक्षक पदेन महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ को लेख किया गया है।

(xxii) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन में संघ मुख्यालय द्वारा मुख्यालय स्तर, समस्त वनवृत्त एवं समस्त जिला यूनियनों के लिये अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है तथा संघ कार्यालय से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी संघ की वेब-साईट में अपलोड की जा चुकी है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013 (दिनांक 01 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक) छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग को प्रेषित किया जा चुका है।

वर्ष 2014 में दिनांक 31.08.2014 तक प्राप्त 16 आवेदन पत्रों को निराकरण कर वांछित जानकारी/जानकारी प्राप्त करने की सूचना आवेदकों को उपलब्ध करायी गई है।

(xxiii) अकाष्टीय वनोपज विकास

1. संसाधन संवर्धन -

छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान हर्बल राज्य के रूप में भी की जाती है। वन क्षेत्रों में अकाष्टीय वनोपज की प्रचुरता को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन तथा विकास हेतु “लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना” की जा रही है। इसके अंतर्गत वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले बहुमूल्य अकाष्टीय वनोपज प्रजातियों के संसाधन सर्वेक्षण, अंतःस्थलीय संवर्धन प्रसंस्करण, प्रशिक्षण एवं विस्तार तथा वन औषधालय की स्थापना के कार्य संपादित कर वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं संवर्धन ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें रोजगार के अवसर भी दिये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में अगस्त 2014 तक संघ मद के अंतर्गत 3 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कर 3000 हेक्टेयर में तथा संघ एवं आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद के तहत पूर्व दो वर्षों में स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्र के 38000 हेक्टेयर में रख-रखाव का कार्य सम्पादित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर्यन्त जारी रहेगी।

लोक संरक्षित क्षेत्र परियोजना के तहत संघ तथा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद में प्रावधानित राशि रु. 441.54 लाख से 10 नये लोक संरक्षित क्षेत्र तथा रु. 240.00 लाख से से 10 नये लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना मार्च 2015 तक किया जाना प्रस्तावित है।

2. कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण एवं प्रसंस्करण

2.1 कच्चे लघु वनोपज संग्रहण

राज्य में कच्चे लघु वनोपज क्रय करने हेतु बाजार मांग एवं उपलब्धता को देखते हुए अधिक बाजार मांग वाली प्रजातियों का चयन कर ग्राम एवं हाट बाजार स्तर पर स्व सहायता समूहों के माध्यम से क्रय हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्व सहायता समूह कच्चे लघु वनोपज क्रय करने पश्चात् स्थानीय बाजार अथवा नजदीकी NWFEP मार्ट में उसका विक्रय करते हैं। लघु वनोपज का विनाश विहीन विदोहन पद्धति से संग्रहण एवं बाजार मानक के अनुरूप प्रसंस्करण हेतु हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

2.1.1. अराष्ट्रीयकृत वनोपज का क्रय

शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संग्रहण वर्ष 2008 एवं आगामी वर्षों की तेन्दूपत्ते के व्यापार से प्राप्त आय की 15 प्रतिशत राशि से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे इमली, महुआ, चिरौजी आदि का क्रय-विक्रय, भंडारण एवं प्रसंस्करण का कार्य किया जावे। इस हेतु वर्ष 2008 से 2012 के तेन्दूपत्ते के व्यापार की आय की 15 प्रतिशत राशि रु. 142.78 करोड़ जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई गई है। स्व-सहायता समूह इस हेतु प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति से ऋण प्राप्त कर अपनी इच्छानुसार लघु वनोपज का क्रय-विक्रय कर आय अर्जित कर सकते हैं। स्व-सहायता समूह को रुपये 2000/- प्रति सदस्य के हिसाब से ऋण समिति के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उक्त प्रक्रिया में वनोपज के क्रय-विक्रय के दर निर्धारण का अधिकार स्व सहायता समूहों को ही है।

2.2 लाख विकास

प्रदेश में ग्रामीणों/वनवासियों द्वारा कम श्रम साध्य कार्य होने के फलस्वरूप परम्परागत रूप से कुसुम, बेर तथा पलाश के वृक्षों पर लाख पालन का कार्य किया जाता है। योजना प्रारंभ से वर्ष 2014-15 तक लाख विकास योजना मद में लाख पालन माइक्रोइंटरप्राइजेस की 83 परियोजनाओं की स्थापना कर कार्य सम्पादन किया जा रहा है। योजना के तहत जिला यूनियनों को रु. 18.61 करोड़ की राशि प्रदाय की गयी है तथा अगस्त 2014 तक प्रदाय राशि के विरुद्ध रु. 12.87 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि रु. 2.10 करोड़ पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं के द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में प्रावधानित कार्यों के लिये प्रदाय किये जावेंगे।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के उद्देश्यों के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए लाख पालन एवं प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राइजेस की 26 परियोजनाएँ जिला यूनियनों में संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक इस परियोजना अवधि में लगभग 13214 हितग्राहियों को योजना में शामिल कर लाख की खेती के माध्यम से लाभ पहुँचाया जा रहा है। संपूर्ण परियोजना के लिए केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत राशि रु. 14.97 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2013-14 तक स्वीकृत परियोजना के कार्य संपादन हेतु राशि रु.

1123.36 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध अगस्त 2014 तक रू. 851.94 लाख व्यय की गई है। शेष राशि का व्यय अवशेष कार्यों के संपादन में किये जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यूरोपियन कमीशन योजना, तथा लाख विकास योजना के माध्यम से स्थापित किये गये कुल 109 लाख पालन माइक्रोइंटरप्राइजेस की परियोजनाएँ संचालित की जा रही है। प्रदेश में इन परियोजनाओं के माध्यम से 2103 स्व-सहायता समूहों के कुल 35052 हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। लाख पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीणों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाख पालन एवं इसकी क्रियाविधि की जानकारी देने हिन्दी तथा छत्तीसगढ़ी भाषा में वीडियो फिल्म तैयार की जाकर जिला यूनियनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा टी.वी.चैनलों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

2.3 माहुल पत्ता प्रसंस्करण

प्रदेश में माहुल पत्ता का उत्पादन बहुतायत में होता है। विगत वर्षों में संग्रहित माहुल पत्ता को सीधे अन्य राज्यों में बिक्री किया जाता था, जिससे स्थानीय ग्रामीण वनवासियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। अतः माहुल पत्ता से स्थानीय ग्रामीण संग्रहकों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु 21 माहुल पत्ता प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना की गयी है। इन ईकाईयों में स्व-सहायता समूहों के द्वारा माहुल पत्ता का उपचार कर मशीन द्वारा दोना-पत्तल का निर्माण किया जा रहा है।

2.4 शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण

राज्य के वन क्षेत्रों से उत्तम गुणवत्ता का शहद बहुतायत में प्राप्त होता है। शहद संग्रहकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में समूहों से सीधे शहद क्रय किया जाता है। संग्रहित शहद का प्रसंस्करण एवं बॉटलिंग जिला यूनियन बिलासपुर, जशपुर नगर, कवर्धा तथा पूर्व भानुप्रतापपुर में स्थापित प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा किया जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड नाम से विक्रित किया जाता है। उक्त शहद की बाजार मांग काफी अधिक है।

2.5 इमली संग्रहण एवं प्रसंस्करण

प्रदेश के बस्तर संभाग में उच्च गुणवत्तायुक्त इमली का उत्पादन बहुतायत में होता है। जिला यूनियन दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर एवं जगदलपुर क्षेत्र में स्व-सहायता समूह एवं प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों द्वारा इमली का क्रय किया जाता है। इसके प्रसंस्करण हेतु विभिन्न प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किये गए हैं, जहां प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे इमली, चपाति, ब्रिक्स, कैन्डी आदि का निर्माण किया जाता है। अतिरिक्त इमली का भंडारण जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा स्थित शीतगृहों में किया जाता है।

3. विपणन

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विपणन हेतु सुनिश्चित व्यवस्था निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP मार्ट की स्थापना की गई है। इस व्यवस्था

के अंतर्गत संबंधित वृत्त में स्थानीय संग्राहक/स्व-सहायता समूह/वन समिति/प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है। इसके पश्चात उपरोक्त उत्पाद का थोक या रिटेल विक्रय किया जा रहा है। हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न माध्यम जैसे - इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, एस.एम.एस., होर्डिंग्स, ब्रोशर तथा पैम्पलेट्स आदि द्वारा इन उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

प्रत्येक NWFP मार्ट संचालन हेतु एक सीनियर एवं जूनियर एक्सीक्यूटिव मार्केटिंग की नियुक्ति की गई है। प्रदेश में स्थापित NWFP मार्ट में वित्तीय वर्ष 2014-15 में (जुलाई 2014 तक) क्रय-विक्रय की प्रगति निम्नानुसार है :-

वर्ष	क्रय मूल्य (रु. लाख में)	विक्रय मूल्य (रु. लाख में)
2013-14 (जुलाई 2014 तक)	17.27	26.55

हर्बल उत्पादों के बिक्री हेतु “छत्तीसगढ़ हर्बल्स” ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न जिला यूनियनों के स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों के विक्रय में वृद्धि के लिये पैकेजिंग तथा लेबल डिजाइनिंग हेतु संघ मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही की गई है।

4. यूरोपियन कमीशन परियोजना -

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देकर, ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की आर्थिक सहायता से एक परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत की गई है। इसकी कुल लागत रु 23.25 करोड़ थी, जिसे वृद्धि की गई परियोजना अवधि (दिसम्बर 2015 तक) हेतु बढ़ाकर रु. 26.35 करोड़ किया गया। यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ हुई थी तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु अभी तक कुल राशि रु. 23.21 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

इस परियोजना के अंतर्गत लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं। परियोजना की घटकवार प्रगति निम्नानुसार है :-

I. परियोजना का घटकवार विवरण

1. संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर

(1.1) **संसाधन सर्वेक्षण** - परियोजना अंतर्गत राज्य में 4912 सेम्पल प्लॉट डालकर लघु वनोपज का संसाधन सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्र किये गये हैं। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर “छत्तीसगढ़ राज्य के वानस्पतिक प्रजातियों का संसाधन सर्वेक्षण प्रतिवेदन” पुस्तिका का प्रकाशन कर वितरण किया गया है।

(1.2) हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा - हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 21 स्थानों का चयन कर 418 वैद्यों के साक्षात्कार के माध्यम से कुल 3399 परम्परागत औषधियों का अभिलेखन किया गया । वैद्यों से प्राप्त जानकारीयों के आधार पर “एक दृष्टि में छ.ग. राज्य की परम्परागत चिकित्सा पद्धति” नाम से पुस्तिका के प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है । प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 50 वनौषधालयों की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें से 48 वनौषधालय स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इन्हें स्थानीय वैद्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है । **इन वनौषधालयों की स्थापना हेतु कुल राशि ₹ 221.82 लाख स्वीकृत किए गए है ।** चयनित परंपरागत वैद्यों को वनौषधालय संचालन हेतु राशि ₹ 10000 प्रति वनौषधालय चक्रीय राशि एवं राशि ₹ 100 प्रतिदिन के मान से मानदेय प्रदाय किया जा रहा है । वनौषधालयों में कार्यरत वैद्यों के कौशल विकास हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेन्टर, रायपुर के साथ त्रिदिवसीय आयुर्वेद प्रशिक्षण दिनांक 27.03.2014 से दिनांक 29.03.2014 तक आयोजन किया गया ।

2. लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य -

इस घटक के अंतर्गत विभिन्न लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किये गए हैं । प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइजेस में आवश्यकतानुसार लघु वनोपज उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति/वन समिति/स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है । परियोजना अंतर्गत संग्रहण, प्रसंस्करण हेतु स्वीकृत 74 माइक्रोइन्टरप्राइजेस में कुल 1302 समूह के 17196 हितग्राही कार्यरत है । इसी प्रकार विपणन के 49 माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्वीकृत है । कुल स्वीकृत माइक्रोइन्टरप्राइजेस 122 है । विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ग	माइक्रो इन्टरप्राइजेस के नाम	मा.ई. की संख्या	स्वीकृत कुल राशि (रु. लाख में)
2.1	लघु वनोपज उत्पादन	लाख पालन	16	294.82
		शहद संग्रहण	4	35.00
2.2	लघु वनोपज संग्रहण	कच्चे वनोपज संग्रहण	16	94.60
2.3	लघु वनोपज प्रसंस्करण	इमली	5	81.00
		वनोषधि	7	113.36
		तैलीय बीज	2	40.00
		माहुल पत्ता	10	201.00
		चिरौजी	3	44.63
		आंवला	3	35.00
		लाख	1	20.00
		हर्बल खाद्य	2	84.05
		काजू प्रसंस्करण	क्लस्टर लेवल	3
		काजू संग्रहण	1	39.00
	सेंट्रल लेवल	1	43.064	

2.4	लघु वनोपज विपणन	लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादों का समूहों के माध्यम से क्रय-विक्रय	49	81.00
		योग :-	123	1251.82

उपरोक्त माइक्रोइंटरप्राइजेस के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों से तकनीकी परामर्श एवं रिसोर्स पर्सन की सहायता ली गई है, ताकि हितग्राही पूर्ण क्षमता से कार्य करते हुए माइक्रोइंटरप्राइजेस का लाभ ले सके ।

3. वनौषधि/हर्बल उत्पाद निर्माण :- यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत डोंगानाला (कटघोरा), केंवची (मरवाही), अतरिया (बिलासपुर), केशोडार (गरियाबंद), कुरंदी (जगदलपुर), पंचक्की (जशपुर) तथा नारायणपुर में स्थापित वनौषधि निर्माण केन्द्रों में वनौषधि उत्पाद हेतु ड्रग लायसेंस प्राप्त कर लिया गया है । इन केन्द्रों में 100 वनौषधि/हर्बल उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है, जिनका विपणन NWFP मार्ट एवं संजीवनी के माध्यम से किया जा रहा है ।

4. विपणन :- माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने इस घटक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में “संजीवनी” के नाम से हर्बल उत्पादों के विपणन हेतु 15 प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र भवन निर्माण किया गया है । हर्बल उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग वनवृत्त में विकासखंड/परिक्षेत्र स्तर पर प्रत्येक संजीवनी की स्थापना हेतु रु 1.00 लाख का आबंटन दिया गया है । उपरोक्तानुसार परियोजनांतर्गत कुल 32 संजीवनी की स्थापना की गयी है । हर्बल उत्पाद के विक्रय को बढ़ावा देने हेतु निर्मित उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग में तकनीकी सहायता के साथ-साथ उत्पाद विक्रय हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी स्व-सहायता समूहों को दिया गया है । रायपुर NWFP मार्ट में आम जनता की सुविधा के लिये आयुर्वेद चिकित्सक की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही है ।

4.1 मार्केट अध्ययन एवं बाजार सर्वेक्षण :- अकाष्टीय वनोपज के निर्यात की संभावना ज्ञात किए जाने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली से तथा राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु वनोपज का योगदान ज्ञात किए जाने हेतु दि लाइवलीहुड स्कूल बेसिक्स, भोपाल से अध्ययन कराया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य में लाख खेती एवं प्रसंस्करण का अध्ययन कर अभिलेखन तथा लाख आधारित उत्पादों पर बाजार सर्वेक्षण का कार्य IINRG रांची के माध्यम से कराया गया है ।

5. अनुसंधान एवं विस्तार - डाबर तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बैंगलोर के विशेषज्ञों के माध्यम से 50 कच्चे लघु वनोपज की विनाश विहीन विदोहन पद्धतियों का निर्धारण तथा प्राथमिक प्रसंस्करण विधि का मानकीकरण गुणवत्ता सुधार हेतु किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज का विनाशविहीन विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण, भण्डारण एवं गुणवत्ता नियंत्रण विषय पर पुस्तिका का प्रकाशन संघ द्वारा किया गया है । सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर से इमली एवं आंवला से केण्डी, पल्प तथा स्प्रेड तैयार करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर जगदलपुर में इमली कैंडी प्रसंस्करण केन्द्र एवं बलौदाबाजार में हर्बल खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गयी है । सी.एफ.टी.

आर.आई. मैसूर की तकनीकी सहायता से पलाश फूल एवं तिखुर से नए उत्पाद तैयार करने हेतु अनुसंधान कार्य कराया जा चुका है ।

तिखुर प्रसंस्करण केन्द्र स्थापना हेतु जिला यूनियन धमतरी, दक्षिण कोण्डागॉव एवं नारायणपुर को परियोजना स्वीकृत किया गया है ।

भारत शासन के उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को कुल 6 अनुसंधान परियोजना स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से 04 परियोजना पूर्ण हो चुके है तथा शेष 02 प्रोजेक्ट पर अनुसंधान कार्य कराया जा रहा है ।

6. **सूचना प्रबंधन प्रणाली** - इस घटक के अंतर्गत संघ मुख्यालय को 6 वृत्त, 31 जिला यूनियनों, 6 NFWP मार्ट तथा 4 शहद प्रसंस्करण केन्द्र को कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा टैली साफ्टवेयर के माध्यम से जोड़कर जानकारी का आदान-प्रदान किया जा रहा है, ताकि जानकारियों के संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण तथा लेखा तैयार करने में समय की बचत हो एवं मानव श्रम का सही उपयोग हो । इससे उत्पाद क्रय-विक्रय संबंधी जानकारी का संकलन आसानी से किया जाता है ।
7. **प्रमाणीकरण** - इस घटक के अंतर्गत संग्रहित लघु वनोपज की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु सीजीसर्ट (छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण सोसाइटी), रायपुर के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है । इस हेतु आवश्यकतानुसार अधोसंरचना विकास एवं प्रमाणीकरण के बारे में प्रचार-प्रसार भी इस घटक के तहत किये जा रहे हैं । प्रचार प्रसार हेतु दूरदर्शन से एक जिंगल तथा एक फिल्म का भी निर्माण कराया जा चुका है । वन क्षेत्रों के उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु कुल 44 ऑपरेटरों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 23 ऑपरेटरों को स्कोप सर्टिफिकेट जारी किया गया है । साथ ही जैविक प्रमाणीकरण के कार्यों को बढ़ावा दिये जाने हेतु इस विषय पर प्राथमिक लघु वनोपज समिति के प्रबंधकों हेतु प्रशिक्षण वर्ष 2012 में आयोजित किया गया था, जिसका रिफ्रेशर प्रशिक्षण वर्ष 2013 में आयोजित किया गया ।
8. **क्षमता विकास** -यूरोपियन कमीशन परियोजना अंतर्गत अकाष्टीय वनोपज आधारित विकास में दूरगामी परिणाम लाने हेतु स्व-सहायता समूहों का क्षमता विकास किया गया है । इस हेतु प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा कार्य शाला आदि आयोजित किये गये हैं । हितग्राहियों को माहुल पत्ता प्रसंस्करण, इमली प्रसंस्करण, वनौषधि प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण, लाख पालन, शहद संग्रहण तथा स्व-सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है । प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर के सहयोग से प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार की गयी है । **Livelihood Basics School, Bhopal** तथा **IIFM भोपाल** से मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कराया जाकर उक्त मास्टर ट्रेनर के माध्यम से स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण कराया गया है ।

परियोजना अंतर्गत कुल 08 सेमिनार/कार्यशाला - प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, हर्बल हेल्थ केयर स्ट्रैटेजी, कच्चे लघु वनोपज का विनाश विहीन विदोहन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन, एकाउंटिंग प्रोसेस एवं एम.आई.एस., क्षमता विकास, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एवं मार्केटिंग ऑफ एन.टी.एफ.पी. विषयों पर आयोजित की गई है, जिसमें कुल 458

स्टॉफ एवं अन्य द्वारा भाग लिया गया है । परियोजना अंतर्गत कुल 19318 हितग्राहियों, 4753 स्टॉफ एवं 2306 वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया ।

यूरोपियन कमीशन परियोजना की वित्तीय प्रगति (जुलाई 2014 की स्थिति में)

क्र.	घटक	आबंटित राशि (रु लाख में)	व्यय राशि (रु लाख में)
1	संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा	399.03	285.97
2	लघु वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य	1376.05	1231.89
3	विपणन	364.75	309.87
4	अनुसंधान एवं विस्तार	94.20	76.36
5	सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.)	143.95	131.62
6	प्रमाणीकरण	50.40	39.99
7	क्षमता विकास	207.26	140.90
	योग :-	2635.64	2216.60

यूरोपियन कमीशन परियोजना क्रियान्वयन में वर्ष 2012-13 तक किए गए व्यय का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया गया है एवं 2013-14 का ऑडिट कराया जा रहा है ।

4. आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान

आदिवासी मामलों के मंत्रालय भारत शासन, नई दिल्ली को वर्ष 2013-14 में रु. 5.00 करोड़ की परियोजना भेजी गई थी, किन्तु राशि अप्राप्त है । वर्ष 2014-15 में रु. 5.67 करोड़ की परियोजना भेजी गई है, जिसकी स्वीकृति अप्राप्त है । राशि प्राप्त होने पर गोदाम निर्माण व लघु वनोपज के उपार्जन/प्रसंस्करण कार्य कराया जायेगा ।

5. आदिवासी उपयोजना राज्य शासन का अनुदान

राज्य शासन की नवीन योजनान्तर्गत लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु राशि रु. 2.00 करोड़ प्राप्त हुआ है । इस राशि से वर्ष 2009-10 में माहुल पत्ता प्रसंस्करण, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014.15 में तिखुर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है । इसके अतिरिक्त इमली, आंवला एवं तिखुर आदि के प्रसंस्करण कार्य वर्ष 2014-15 में कराये जावेंगे ।

6. रु. 32 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक वर्ष लगभग 1500/- करोड़ की लघु वनोपज का उत्पादन होता है, परन्तु राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या बहुत कम है । वर्ष 2009-10 में

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से रू. 32.00 करोड़ की एकमुश्त राशि लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु प्राप्त हुई है। इस राशि से सरगीपाल जगदलपुर में इमली ब्लॉक (Tamarind Block), व इमली कर्नेल पाउडर (TKP-Starch), तैयार किया जावेगा। नयनपुर गिरिवरगंज जिला सरगुजा में केसिया टोरा पाउडर (Cassia tora Powder) तथा गोंद (Cassia tora Gum) तैयार किया जावेगा। बिलासपुर में आंवला तथा बेल की प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जावेगा, जिसमें आंवला जूस (Aonla Juice), स्ववैश (Aonla Squash/ Paste) एवं बेल के उत्पाद तैयार किये जायेगे। कांकेर में लाख प्रसंस्करण का कार्य किया जाएगा। रायपुर में हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण एवं प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जावेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत सिटकॉन रायपुर से सभी Clusters का Detailed Project Report (DPR) तैयार कराया जा रहा है, जिसमें से जगदलपुर एवं रायपुर का Detailed Project Report (DPR) तैयार किया गया है। बिलासपुर सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम द्वारा तथा जगदलपुर एवं कांकेर में प्रसंस्करण इकाई स्थापित किये जाने हेतु वन विभाग द्वारा, वन भूमि आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वन भूमि आवंटन उपरांत प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जावेगी, जिससे राज्य में रोजगार एवं आय के साधनों में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहक लाभान्वित होंगे। उक्त योजनाओं में से सरगुजा में केसिया टोरा पाउडर (Cassia tora Powder) तथा गोंद (Cassia tora Gum) तैयार करने हेतु प्रसंस्करण इकाई एवं रायपुर में हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण एवं प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने से संबंधित दिनांक 28.10.2014 को ई-निविदा आमंत्रित की गई है। सरगुजा इकाई को स्थापित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम द्वारा नयनपुर-गिरिवरगंज जिला सरगुजा में भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की गई है। इस इकाई में Cassia Tora Gum o Cassia Tora Powder Unit की स्थापना की जावेगी। रायपुर बरौदा में 1.5 हेक्टेयर वन विभाग के स्वामित्व की भूमि उपलब्ध है, जिसमें Herbal Extraction and Ayurvedic Medicines (For Both Human & Animal Healthcare) के निर्माण तथा उक्त दोनों इकाईयों के स्थापना के लिए प्रायवेट पार्टनर से Request for Proposal (RFP) आमंत्रित किए जाने बाबत दिनांक 28.10.2014 को ई-निविदा आमंत्रित की गई है।

परिशिष्ट 'क'

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित हेतु दिनांक 31.08.2014 की स्थिति में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की जानकारी

अ.क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	अपर प्रबंध संचालक (अ.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
3	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	महाप्रबंधक (वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
5	उप वन संरक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	प्रबंधक लेखा	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	1	1	6	2	4	30	25	5	38	28	10
11	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
12	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
15	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
17	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
18	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	90	90	180	90	90
19	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
20	कर सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
21	आंतरिक अंकेक्षक	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
22	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
23	अधीक्षक	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
24	लेखा अधीक्षक	4	1	3	0	0	0	0	0	0	4	1	3
25	वरिष्ठ लेखापाल	1	3	-2	0	0	0	0	0	0	1	3	-2
26	लेखापाल	8	4	4	6	5	1	28	16	12	42	25	17
27	कनिष्ठ लेखापाल	6	6	0	0	0	0	22	17	5	28	23	5
28	डाटा एन्ट्री अपरेटर	7	7	0	6	6	0	31	31	0	44	44	0
29	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
30	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31	सहायक वर्ग-3	20	11	9	6	7	-1	61	47	14	87	65	22
32	स्वागतकर्ता सहायक वर्ग-3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
33	वाहन चालक	12	12	0	0	3	-3	22	8	14	34	23	11
34	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
35	संदेशवाहक	16	6	10	12	9	3	86	81	5	114	96	18
36	चौकीदार	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग :-	111	72	39	36	32	4	470	315	155	617	419	198

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2013

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण			
			लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में संग्रहित एवं क्रेता को परिदत्त मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
1	2	3	4	5	6	7
बीजापुर	39	47700.000	25	46695.452	136525102.11	2923.73
सुकमा	48	79500.000	7	15240.990	32085691.60	2105.22
दंतेवाड़ा	13	23500.000	7	23816.785	53584532.79	2249.86
जगदलपुर	15	25500.000	4	7238.167	12926026.85	1785.81
दक्षिण कोंडागांव	11	21600.000	5	8664.020	16546546.16	1909.80
उत्तर कोंडागांव	16	29400.000	12	22828.704	48304152.40	2115.94
नारायणपुर	12	21400.000	4	5233.725	9689887.57	1851.43
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	99700.000	56	96433.410	291236676.38	3020.08
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	84300.000	38	64680.105	169848165.64	2625.97
कांकेर	24	41100.000	22	38598.560	113898706.00	2950.85
राजनांदगांव	51	87200.000	50	79210.815	211563720.96	2670.89
खैरागढ़	24	44900.000	21	28507.815	62701368.38	2199.44
दुर्ग	18	28800.000	18	27814.298	72036480.32	2589.91
कवर्धा	24	44400.000	21	28750.290	69417105.51	2414.48
धमतरी	23	32900.000	23	29322.940	79033814.72	2695.29
उदन्ती	19	24900.000	18	22864.135	67186532.38	2938.51
पूर्व रायपुर	43	65500.000	43	63615.471	220128132.56	3460.29
महासमुंद	69	101700.000	68	91043.160	253253843.46	2781.69
रायपुर	16	26900.000	15	23398.545	63194843.07	2700.80
बिलासपुर	16	24700.000	14	19278.890	47574660.59	2467.71
मरवाही	19	29300.000	18	23805.280	66294508.48	2784.87
जांजगीर-चांपा	7	10000.000	4	4898.370	9222384.31	1882.75
रायगढ़	41	63900.000	41	58389.935	155724645.36	2666.98
धरमजयगढ़	53	84000.000	53	78399.055	235963766.81	3009.78
कोरबा	34	54600.000	31	44063.500	137845896.22	3128.35
कटघोरा	39	78700.000	35	56373.415	175685297.75	3116.46
जशपुर नगर	20	36600.000	18	28487.345	58942888.90	2069.09
मनेन्द्रगढ़	20	37300.000	18	30288.385	69765163.44	2303.36
कोरिया	16	29400.000	14	30596.715	80459707.67	2629.68
दक्षिण सरगुजा	28	67100.000	26	54894.280	137491274.38	2504.66
पूर्व सरगुजा	29	71700.000	21	41863.960	92985266.09	2221.13
उत्तर सरगुजा	52	125600.000	42	95932.445	198829083.67	2072.59
कुल योग	950	1643800.000	792	1291228.962	3449945872.53	2671.83

जिला यूनियनवार अग्रिम में अविक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2013

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	कुल संग्रहण (मानक बोरा में)	गोदामीकरण उपरांत विक्रित लाटों का विवरण					
			लाटों की संख्या	अग्रिम में अविक्रित लाटों में संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रित लाटों की मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	अविक्रित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बीजापुर	27	52598.865	4	5903.413	1279.982	1575657.84	1231.00	4623.431
सुकमा	15	21301.706	10	6060.716	1323.106	1021032.07	771.69	4737.610
दत्तेवाड़ा	13	32464.166	6	8647.381	1844.550	1494110.15	810.01	6802.831
जगदलपुर	15	27603.675	11	20365.508	4855.302	4505917.97	928.04	15510.206
दक्षिण कोंडागांव	11	25494.387	6	16830.367	9162.164	8598292.71	938.46	7668.203
उत्तर कोंडागांव	16	31540.525	4	8711.821	8711.821	9696915.84	1113.08	0.000
नारायणपुर	12	21733.321	8	16499.596	11477.278	11756027.72	1024.29	5022.318
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	96433.410	--	--	--	--	--	--
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	80688.780	17	16008.675	7994.415	8600236.16	1075.78	8014.260
कांकेर	24	42492.510	2	3893.950	3893.950	5734591.28	1472.69	0.000
राजनांदगांव	51	80250.085	1	1039.270	1039.270	816866.22	786.00	0.000
खैरागढ़	24	34378.030	3	5870.215	5870.215	6822680.51	1162.25	0.000
दुर्ग	18	27814.298	--	--	--	--	--	--
कवर्धा	24	32625.725	3	3875.435	3875.435	4903867.27	1265.37	0.000
धमतरी	23	29322.940	--	--	--	--	--	--
उदन्ती	19	24230.109	1	1365.974	1365.974	1131026.47	828.00	0.000
पूर्व रायपुर	43	63615.471	--	--	--	--	--	--
महासमुंद	69	91533.135	1	489.975	489.975	643827.15	1314.00	0.000
रायपुर	16	24471.710	1	1073.165	1073.165	1139701.23	1062.00	0.000
बिलासपुर	16	21881.240	2	2602.350	2602.350	3876369.45	1489.56	0.000
मरवाही	19	24337.360	1	532.080	532.080	1073205.36	2017.00	0.000
जांजगीर-चांपा	7	8168.400	3	3270.030	2756.150	3128989.15	1135.28	513.880
रायगढ़	41	58389.935	--	--	--	--	--	--
धरमजयगढ़	53	78399.055	--	--	--	--	--	--
कोरबा	34	47504.415	3	3440.915	3440.915	6351534.15	1845.89	0.000
कटघोरा	39	61845.784	4	5472.369	5472.369	6804296.07	1243.39	0.000
जशपुर नगर	20	32489.035	2	4001.690	1998.410	3435266.79	1719.00	2003.280
मनेन्द्रगढ़	20	33551.370	2	3262.985	3262.985	3715391.10	1138.65	0.000
कोरिया	16	34683.835	2	4087.120	1808.940	2273837.58	1257.00	2278.180
दक्षिण सरगुजा	28	57749.620	2	2855.340	2855.340	2508953.47	878.69	0.000
पूर्व सरगुजा	30	56584.746	9	14720.786	9615.519	9194623.49	956.23	5105.267
उत्तर सरगुजा	52	115020.950	10	19088.505	15115.360	16779359.83	1110.09	3973.145
कुल योग	906	1471198.593	118	179969.631	113717.020	127582577.03	1121.93	66252.611

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2014

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण			
			लाटों की संख्या	अग्रिम में विक्रित लाटों में संग्रहित एवं क्रेता को परिदत्त मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
1	2	3	4	5	6	7
बीजापुर	39	47700.000	39	73535.680	149334553.02	2030.78
सुकमा	48	79500.000	4	4444.875	8774730.25	1974.12
दंतेवाड़ा	13	23500.000	3	6530.870	11175671.54	1711.21
जगदलपुर	15	25500.000	1	1279.075	2176985.65	1702.00
दक्षिण कोंडागांव	11	21600.000	5	10317.031	18145180.70	1758.76
उत्तर कोंडागांव	16	29400.000	11	22780.880	43999674.99	1931.43
नारायणपुर	12	21400.000	11	18831.475	33365385.02	1771.79
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	99700.000	56	101002.330	266728481.31	2640.82
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	84300.000	33	54633.685	127512828.42	2333.96
कांकेर	24	41100.000	23	38062.380	104233281.92	2738.49
राजनांदगांव	51	87200.000	49	81501.900	199386920.97	2446.41
खैरागढ़	24	44900.000	21	33306.165	69020701.04	2072.31
बालोद	18	28800.000	18	28769.985	68654131.06	2386.31
कवर्धा	24	44400.000	21	27866.840	62593517.23	2246.16
धमतरी	23	32900.000	23	27715.625	71975037.98	2596.91
गरियाबंद	62	90400.000	61	84020.450	265207551.98	3156.46
महासमुंद	69	101700.000	67	92887.200	241067859.90	2595.28
बलौदा बाजार	16	26900.000	14	21058.990	55498731.42	2635.39
बिलासपुर	16	24700.000	20	25766.450	61922871.27	2403.24
मरवाही	19	29300.000	14	16312.065	39581057.38	2426.49
जांजगीर-चांपा	7	10000.000	2	3063.175	5828396.09	1902.73
रायगढ़	41	63900.000	41	58893.200	142356805.18	2417.20
धरमजयगढ़	53	84000.000	53	74576.600	208818271.62	2800.05
कोरबा	34	54600.000	30	44059.875	128730051.38	2921.71
कटघोरा	39	78700.000	37	55798.145	155491425.33	2786.68
जशपुर नगर	20	36600.000	20	46712.150	91525628.31	1959.35
मनेन्द्रगढ़	20	37300.000	20	38241.895	80676798.21	2109.64
कोरिया	16	29400.000	16	30026.375	65538327.20	2182.69
सरगुजा	15	35000.000	15	31147.080	66293305.28	2128.40
बलरामपुर	64	154400.000	44	83948.025	150441818.43	1792.08
सूरजपुर	30	75000.000	29	63349.025	135838222.09	2144.28
कुल योग	950	1643800.000	801	1300439.496	3131894202.17	2408.34

जिला यूनियनवार अग्रिम में अविक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण अनुसार)

संग्रहण वर्ष : 2014

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	कुल संग्रहण (मानक बोरा में)	गोदामीकरण उपरांत विक्रित लाटों का विवरण					
			लाटों की संख्या	अग्रिम में अविक्रित लाटों में संग्रहित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रित लाटों की मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	अविक्रित मात्रा (मानक बोरा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बीजापुर	39	73535.680						0.000
सुकमा	4	4444.875						0.000
देतेवाड़ा	7	12239.180	4	5708.310				5708.310
जगदलपुर	15	20751.078	14	19472.003				19472.003
दक्षिण कोंडागांव	11	21745.521	6	11428.490				11428.490
उत्तर कोंडागांव	16	33105.563	5.000	10324.683				10324.683
नारायणपुर	12	21677.155	1.000	2845.680				2845.680
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	101002.330					--	--
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	70941.295	22.000	16307.610	5053.255	11141119.26	2204.74	11254.355
कांकेर	24	39455.815	1.000	1393.435				1393.435
राजनांदगांव	51	84045.020	2.000	2543.120	2543.120	5490596.08	2159.00	0.000
खैरागढ़	24	39867.070	3.000	6560.905	1707.075	3958706.93	2319.00	4853.830
बालोद	18	28769.985					--	--
कवर्धा	24	33363.560	3.000	5496.720				5496.720
धमतरी	23	27715.625					--	--
गरियाबंद	62	84631.590	1.000	611.140				611.140
महासमुंद	69	94228.795	2.000	1341.595				1341.595
बलौदा बाजार	16	23362.180	2.000	2303.190				2303.190
बिलासपुर	21	26337.975	1.000	571.525				571.525
मरवाही	14	16312.065						0.000
जांजगीर-चांपा	7	8456.700	5.000	5393.525				5393.525
रायगढ़	41	58893.200					--	--
धरमजयगढ़	53	74576.600					--	--
कोरबा	34	47685.120	4.000	3625.245	1788.180	4059159.05	2269.99	1837.065
कटघोरा	39	57512.230	2.000	1714.085				1714.085
जशपुर नगर	20	45712.150						0.000
मनेन्द्रगढ़	20	38241.895						0.000
कोरिया	16	30026.375						0.000
सरगुजा	15	31147.080						0.000
बलरामपुर	64	111452.425	20.000	27504.400				27504.400
सूरजपुर	30	66134.380	1.000	2785.355				2785.355
कुल योग	900	1427370.512	99	127931.016	11091.630	24649581.32	2222.36	116839.386

सालबीज संग्रहण वर्ष 2013 का संग्रहण एवं विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय मूल्य (रु. में)	औसत विक्रय दर (प्रति क्विंटल)
1	2	3	4	5	6	7	8
कोरिया	1	कोरिया	6600.000	0.000	0.000	0.00	0.00
मनेन्द्रगढ़	2	मनेन्द्रगढ़	4700.000	0.000	0.000	0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	3	उत्तर सरगुजा	11000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
पूर्व सरगुजा	4	पूर्व सरगुजा	30000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
दक्षिण सरगुजा	5	दक्षिण सरगुजा	26800.000	379.830	379.830	314119.41	827.00
जशपुरनगर	6	अपरघाट	20000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
जशपुरनगर	7	तौअरघाट	35000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
कोरबा	8	कोरबा	1000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
रायगढ़	9	रायगढ़	2500.000	0.000	0.000	0.00	0.00
धर्मजयगढ़	10	धर्मजयगढ़	3000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
कटघोरा	11	कटघोरा	2500.000	0.000	0.000	0.00	0.00
बिलासपुर	12	बिलासपुर	2500.000	0.000	0.000	0.00	0.00
मरवाही	13	मरवाही	3000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
कांकेर	14	कांकेर	3000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	15	भानुप्रतापपुर	3000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	16	आमबेड़ा	3500.000	0.000	0.000	0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	17	कोयलीबेड़ा	500.000	0.000	0.000	0.00	0.00
उत्तर कोण्डागांव	18	बड़े राजपुर	4000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
उत्तर कोण्डागांव	19	केशकाल	2000.000	57.130	57.130	48560.50	850.00
उत्तर कोण्डागांव	20	फरसगढ़	2000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
उत्तर कोण्डागांव	21	बड़ेडोंगर	2000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	22	माकड़ी	5000.000	130.000	130.000	110500.00	850.00
दक्षिण कोण्डागांव	23	कोण्डागांव	5000.000	103.330	103.330	87830.50	850.00
दक्षिण कोण्डागांव	24	मुलमुला	5000.000	55.500	55.500	47175.00	850.00
दक्षिण कोण्डागांव	25	मर्दापाल	2000.000	12.270	12.270	10429.50	850.00
नारायणपुर	26	नारायणपुर	2500.000	0.000	0.000	0.00	0.00
दत्तवाडा	27	दत्तवाडा	500.000	0.000	0.000	0.00	0.00
जगदलपुर	28	बकावंड	10000.000	367.350	367.350	312247.50	850.00
जगदलपुर	29	कर्पावंड	7000.000	122.600	122.600	104210.00	850.00
जगदलपुर	30	जगदलपुर	8000.000	59.500	59.500	50575.00	850.00
जगदलपुर	31	भनपुरी	10000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
सुकमा	32	सुकमा	1000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
पूर्व रायपुर	33	पूर्व रायपुर	8000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
उदन्ती	34	उदन्ती	2000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
रायपुर	36	रायपुर	300.000	0.000	0.000	0.00	0.00
धमतरी	37	धमतरी	4000.000	0.000	0.000	0.00	0.00
कवर्धा	38	कवर्धा	3800.000	0.000	0.000	0.00	0.00
योग			242700.00	1287.510	1287.510	1085647.41	843.21

हरा संग्रहण वर्ष 2012-13 का विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	वाट क्रमांक	संग्रहित मात्रा				विक्रय दर रु. प्रति विवंटल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
				हरा (विवंटल में)	कचरिया (विवंटल में)	वालहरा (विवंटल में)	कुल हरा (विवंटल में)					
ककेर	1	ककेर		5036.500	9.100	0.000	5054.700	901.00	अग्रिम	भेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	4554284.70	4084197.60
ककेर	2	नरहरपुर		3771.580	913.280	0.000	5598.140	916.00	अग्रिम	भेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	5127896.24	4523297.12
ककेर	3	सरोना		1079.890	0.000	0.000	1079.890	805.00	अग्रिम	भेसर्स प्रवीणचंद्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	869311.45	872551.12
ककेर	4	कोरर		1762.450	0.000	0.000	1762.450	900.00	अग्रिम	भेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	1586205.00	1424059.60
ककेर	5	चरमा		2657.000	117.700	0.000	2892.400	900.00	अग्रिम	भेसर्स तुलसीदास भगवानदास	2603160.00	2337059.20
उत्तर कोण्डगांव	6	फरसगांव	1	2164.140	0.000	0.000	2164.140	917.00	गोचमीकृत	भेसर्स सत्योम टेडर्स	1984516.38	1882801.80
उत्तर कोण्डगांव	7	कैलाकल	2	3378.970	0.000	0.000	3378.970	710.00	गोचमीकृत	भेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	2399068.70	2939703.90
दक्षिण कोण्डगांव	8	पूर्व कोण्डगांव	3	260.150	0.000	0.000	260.150	721.00	गोचमीकृत	भेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	187568.15	226330.50
दक्षिण कोण्डगांव	9	पश्चिम कोण्डगांव		34.600	0.000	0.000	34.600	721.00	गोचमीकृत	भेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	24946.60	30102.00
नारायणपुर	10 & 11	उत्तर एवं दक्षिण नारायणपुर	4	2159.340	0.000	0.000	2159.340	857.00	गोचमीकृत	भेसर्स सत्योम टेडर्स	1850554.38	1878625.80
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	5	142.580	0.000	0.000	142.580	702.00	गोचमीकृत	भेसर्स राधाकिशन सत्यनारायण राठी	100091.16	124044.60
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतागड़		365.600	0.000	0.000	365.600	702.00	गोचमीकृत	भेसर्स राधाकिशन सत्यनारायण राठी	256651.20	318072.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	6	6.850	0.000	0.000	6.850	0.00			0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी		11.150	0.530	0.000	12.210	0.00			0.00	0.00
जगदलपुर	16	बस्तर	7	381.640	0.000	0.000	381.640	827.00	गोचमीकृत	भेसर्स सत्योम टेडर्स	315616.28	332026.80
सुकुमा	17	सुकुमा		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
दीवाडा	18	दीवाडा	15	16.800	0.000	0.000	16.800	0.00			0.00	0.00
बीजापुर	19	बीजापुर		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
रायपुर	20	रायपुर		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
महासमुंद	21	महासमुंद		185.000	0.000	0.000	185.000	1019.00	अग्रिम	भेसर्स रामकृत दिनेश कुमार	188515.00	149480.00
धमतरी	22	धमतरी		1083.100	403.300	0.000	1889.700	907.00	अग्रिम	भेसर्स सत्योम टेडर्स	1713957.90	1526877.60
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
उदन्ती	24	उदन्ती	8	131.450	0.000	0.000	131.450	721.00	गोचमीकृत	भेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	94775.45	114361.50
दुर्ग	25	दुर्ग		278.700	357.800	0.000	994.300	933.00	अग्रिम	भेसर्स प्रकलाब चन्द खटवानी	927681.90	803394.40
कवर्धा	26	कवर्धा		65.000	0.000	0.000	65.000	1017.00	अग्रिम	भेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	66105.00	52520.00
खैरगढ़	27	खैरगढ़		12.000	0.000	0.000	12.000	1011.00	अग्रिम	भेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	12132.00	9696.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	9	846.150	0.000	0.000	846.150	852.00	गोचमीकृत	भेसर्स राधाकिशन सत्यनारायण राठी	720919.80	736150.50
मरवाही	29	मरवाही		0.000	0.000	0.000	निरंक	0.00			0.00	0.00
कोरवा	30	कोरवा	10	11.930	4.160	0.000	20.250	0.00			0.00	0.00
कटघोरा	31	कटघोरा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
रायगढ़	32	रायगढ़	11	70.720	9.200	0.000	89.120	857.00	गोचमीकृत	भेसर्स सत्योम टेडर्स	76375.84	77534.40
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	12	28.000	0.000	0.000	28.000	857.00	गोचमीकृत	भेसर्स सत्योम टेडर्स	23996.00	24360.00
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	13	81.900	5.450	0.000	92.800	857.00	गोचमीकृत	भेसर्स सत्योम टेडर्स	79529.60	80736.00
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	14	20.000	25.000	0.000	70.000	767.00	गोचमीकृत	भेसर्स सत्योम टेडर्स	53690.00	60900.00
कोरिया	38	कोरिया		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
योग				26043.190	1845.520	0.000	29734.230				25817548.73	24608882.44

हरा की संग्रहित मात्रा 29734.230
विक्रित हरा 29678.120
अविक्रित हरा 56.110

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 25817548.73
विक्रय मूल्य प्रति विवंटल 869.92
कुल व्यय 808/- एवं 870/- प्रति विवंटल 24608882.44
शुद्ध लाभ 1208666.29
शुद्ध लाभ प्रति विवंटल 40.73
संग्रहण मजदूरी 800/- प्रति विवंटल 23787384.00

हरा संग्रहण वर्ष 2013-14 का विक्रय

जिला घुमियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	साट क्रमांक	संग्रहित मात्रा				विक्रय दर रु. प्रति विन्टल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
				हरा (विन्टल में)	कचरिया (विन्टल में)	बातहरा (विन्टल में)	कुल हरा (विन्टल में)					
कांकेर	1	कांकेर		1400.000	0.000	0.000	1400.000	750.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1050000.00	921200.00
कांकेर	2	नरहरपुर		1270.000	280.000	0.000	1830.000	855.00	अग्रिम	मेसर्स वैशी इन्टरप्राइजेस	1564650.00	1204140.00
कांकेर	3	सरेना		307.000	8.050	0.000	323.100	701.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शतिलाल एण्ड कंपनी	226493.10	212599.80
कांकेर	4	कोरर		1151.200	0.000	0.000	1151.200	715.00	अग्रिम	मेसर्स वैशी इन्टरप्राइजेस	823108.00	757489.60
कांकेर	5	चरमा		1000.000	50.000	0.000	1100.000	711.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	782100.00	723800.00
उत्तर कोण्डगांव	6	करसगांव		1577.180	0.000	0.000	1577.180	1057.00	अग्रिम	मेसर्स सत्योम टेडर्स	1667079.26	1037784.44
उत्तर कोण्डगांव	7	केलकल		936.760	0.000	0.000	936.760	848.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	794372.48	616388.08
दक्षिण कोण्डगांव	8	पूर्व कोण्डगांव	1	764.250	0.000	0.000	764.250	807.00	नेवामीकृत	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शतिलाल एण्ड कंपनी	616749.75	550260.00
दक्षिण कोण्डगांव	9	पश्चिम कोण्डगांव		285.900	0.000	0.000	285.900	808.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	231007.20	188122.20
नारयणपुर	10	उत्तर नारयणपुर		449.690	0.000	0.000	449.690	937.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	421359.53	295896.02
नारयणपुर	11	दक्षिण नारयणपुर		1182.310	0.000	0.000	1182.310	937.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1107824.47	777959.98
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	2	23.170	0.000	0.000	23.170	0.00			0.00	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतापड़		715.940	0.000	0.000	715.940	1028.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	735986.32	471088.52
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी		9.400	0.000	0.000	9.400	0.00			0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
जगदलपुर	16	बत्तर		688.270	0.000	0.000	688.270	702.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शतिलाल एण्ड कंपनी	483165.54	452881.66
सुकमा	17	सुकमा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
दीवाडा	18	दीवाडा	3	173.158	0.000	0.000	173.158	0.00			0.00	0.00
बीजापुर	19	बीजापुर	4	40.000	0.000	0.000	40.000	0.00			0.00	0.00
रायपुर	20	रायपुर		Nil	Nil	Nil	निरंक	0.00			0.00	0.00
महासमुंद	21	महासमुंद		0.000	0.000	0.000	0.000	739.00	अग्रिम	मेसर्स रामफल दिनेश कुमार	0.00	0.00
धमतरी	22	धमतरी		171.000	134.700	0.000	440.400	870.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	383148.00	289783.20
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर		100.000	0.000	0.000	100.000	808.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	80800.00	65800.00
उदन्ती	24	उदन्ती		0.000	0.000	0.000	0.000	808.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	0.00	0.00
दुर्ग	25	दुर्ग		118.000	66.000	0.000	250.000	830.00	अग्रिम	मेसर्स वैशी इन्टरप्राइजेस	207500.00	164500.00
कवर्धा	26	कवर्धा		20.000	0.000	0.000	20.000	851.00	अग्रिम	मेसर्स एच.आर.इन्टरप्राइजेस	17020.00	13160.00
खैरागढ़	27	खैरागढ़		0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.00	0.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव		1717.160	0.000	0.000	1717.160	700.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1202012.00	1129891.28
मरवाही	29	मरवाही		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
कोरवा	30	कोरवा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
कटघोरा	31	कटघोरा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
रायगढ़	32	रायगढ़		8.100	0.000	0.000	8.100	701.00	अग्रिम	मेसर्स सत्योम टेडर्स	5678.10	5329.80
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	701.00	अग्रिम	मेसर्स सत्योम टेडर्स	0.00	0.00
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	5	132.900	4.810	0.000	142.520	753.00	नेवामीकृत	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शतिलाल एण्ड कंपनी	107317.56	102614.40
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	6	178.590	1.410	0.000	181.410	753.00	नेवामीकृत	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शतिलाल एण्ड कंपनी	136601.73	130615.20
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	7	64.770	77.000	0.000	218.770	867.00	नेवामीकृत	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शतिलाल एण्ड कंपनी	189673.59	157514.40
कोरिया	38	कोरिया		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00			0.00	0.00
जगपुरनगर	39	जगपुरनगर	8	64.990	0.000	0.000	64.990	0.00			0.00	0.00
योग				14549.738	621.970	0.000	15793.678				12833646.63	10268818.58

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 12833646.63
 विक्रय मूल्य प्रति विन्टल 828.89
 कुल व्यय 658/- एवं 720/- प्रति विन्टल 10268818.58
 शुद्ध लाभ 2564828.05
 शुद्ध लाभ प्रति विन्टल 165.65
 संग्रहण मजदूरी 650/- प्रति विन्टल 12634942.40

हरा की संग्रहित मात्रा 15793.678
 विक्रित हरा 15482.960
 अवशेषित हरा 310.718

परिशिष्ट - 'छ'

कुल्लू गौद संग्रहण वर्ष 2013-14 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)			विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
			ग्रेड - I	ग्रेड - II	योग					
1	पूर्व भानुप्रतापपुर	30.000	0.000	7.000	7.000	27511.00	अग्रिम	भेसर्स रतन ट्रेडर्स	192577.00	142520.00
2	नारायणपुर	50.000	0.000	2.530	2.530	0.00			0.00	0.00
3	सुकमा	100.000	0.000	0.000	0.000	27050.00	अग्रिम	भेसर्स रोहित हुकूमचंद गुप्ता	0.00	0.00
4	बीजापुर	100.000	0.000	8.870	8.870	28515.00	अग्रिम	भेसर्स रतन ट्रेडर्स	252928.05	180593.20
5	दत्तैवाडा	100.000	0.000	0.000	0.000	27050.00	अग्रिम	भेसर्स रोहित हुकूमचंद गुप्ता	0.00	0.00
योग			0.000	18.400	18.400				445505.05	323113.20

गौद की अनुमानित मात्रा 18.400
विक्रित मात्रा 15.870
अविक्रित मात्रा 2.530

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य 445505.05
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल 28072.15
कुल व्यय 27110/- एवं 20360/- प्रति क्विंटल 323113.20
शुद्ध लाभ 122391.85
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल 7712.15
संग्रहण मजदूरी 27000/- एवं 20250/- प्रति क्विंटल 368000.00

परिशिष्ट - 'ज'

कुल्छू गोंद संग्रहण वर्ष 2014-15 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
1	पश्चिम भानुप्रतापपुर	30.000					
2	नारायणपुर	80.000					
3	सुकमा	100.000					
4	बीजापुर	100.000					
5	दत्तेवाडा	100.000					
योग		410.000					

गोंद की अनुमानित मात्रा 410.000
विक्रित मात्रा 410.000
अविक्रित मात्रा 0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल
कुल व्यय 27110/- एवं 20360/- प्रति क्विंटल
शुद्ध लाभ
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल
संग्रहण भजदूरी 27000/- एवं 20250/- प्रति
क्विंटल

10378125.00

परिशिष्ट - 'ज'

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2013-14 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा			विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल	क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
			धावड़ा (क्विंटल में)	खैर/बबूल (क्विंटल में)	कुल गोंद (धावड़ा) (क्विंटल में)				
1	सरगुजा	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00		निरंक	निरंक
2	कोरिया	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00		निरंक	निरंक
3	रावगढ़	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00		निरंक	निरंक
4	वर्मजयगढ़	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00		निरंक	निरंक
5	पेन्डा	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	2901.00	अग्रिम मेसर्स बी.एल.गोयल	निरंक	निरंक
6	धमतरी	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00		निरंक	निरंक
7	महासमुंद	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	2901.00	अग्रिम मेसर्स बी.एल.गोयल	निरंक	निरंक
8	रावपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	2901.00	अग्रिम मेसर्स बी.एल.गोयल	निरंक	निरंक
9	पूर्व रावपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	2901.00	अग्रिम मेसर्स बी.एल.गोयल	निरंक	निरंक
10	उदन्ती	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00		निरंक	निरंक
11	दुर्ग	100.000	निरंक	निरंक	निरंक	2901.00	अग्रिम मेसर्स बी.एल.गोयल	निरंक	निरंक
12	कवर्धा	10.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00		निरंक	निरंक
13	खैरगढ़	25.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00		निरंक	निरंक
14	राजनंदगाँव	150.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00		निरंक	निरंक
15	पश्चिम धानुप्रतापपुर	100.000	0.000	0.000	0.000	3000.00	अग्रिम मेसर्स रतन ट्रेडर्स	0.00	0.00
16	नारायणपुर	50.000	0.000	0.000	0.000	2901.00	अग्रिम मेसर्स बी.एल.गोयल	0.00	0.00
17	जमदलपुर	10.000	1.000	0.000	1.000	5111.00	अग्रिम मेसर्स रतन ट्रेडर्स	5111.00	2980.00
18	बीजापुर	50.000	0.000	0.000	0.000	6115.00	अग्रिम मेसर्स रतन ट्रेडर्स	0.00	0.00
19	सुकमा	100.000	0.000	0.000	0.000	2901.00	अग्रिम मेसर्स बी.एल.गोयल	0.00	0.00
20	बिलासपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00		निरंक	निरंक
21	जाजगीर-चौपा	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	0.00		निरंक	निरंक
योग		955.000	1.000	0.000	1.000			5111.00	2980.00

गोंद की संग्रहित मात्रा	धावड़ा	खैर/बबूल	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	5111.00
विक्रित गोंद	1.000	0.000	विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	5111.00
अविक्रित गोंद	1.000	0.000	कुल व्यय 2980/- एवं 1820/- प्रति क्विंटल	2980.00
	0.000	0.000	शुद्ध लाभ	2131.00
			शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	2131.00
			संग्रहण भजदूरी 2900/- एवं 1740/- प्रति क्विंटल	2900.00

परिशिष्ट - 'अ'

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2014-15 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर रु. प्रति क्विंटल		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य (रु.)	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय (रु.)
1	सरगुजा	10					
2	कोरिया	10					
3	रायगढ़	50					
4	धर्मजयगढ़	10					
5	फेड़वा	10					
6	धमतरी	10					
7	महासमुंद	50					
8	रायपुर	50					
9	गरियाबंद	10					
10	गरियाबंद	5					
11	दुर्ग	100					
12	कवर्धा	10					
13	खैरागढ़	25					
14	राजनांदगांव	150					
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	100					
16	नारायणपुर	60					
17	जगदलपुर	10	3511.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	35110.00	22840.00
18	बीजापुर	50	3511.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	175550.00	114200.00
19	सुकमा	100					
20	बिलासपुर	50					
21	जांजगीर-चांपा	50					
		920				210660.00	137040.00

अनुमानित गोंद	920.000	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	210660.00
विक्रित गोंद	60.000	विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	3511.00
अविक्रित गोंद	860.000	कुल व्यय 2980/- एवं 1820/- प्रति क्विंटल	137040.00
		शुद्ध लाभ	73620.00
		शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	1227.00
		संग्रहण मजदूरी 2900/- एवं 1740/- प्रति क्विंटल	2027680.00

परिशिष्ट 'ट'

संग्रहण वर्ष 2012 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

राशि रु. (लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 80)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि	वितरण से शेष राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	1966.74	1966.74	0.00
2	पूर्वी सरगुजा	1010.29	1010.29	0.00
3	मनेन्द्रगढ़	807.40	807.40	0.00
4	कोरिया	756.48	756.48	0.00
5	दक्षिण सरगुजा	1270.35	1270.35	0.00
6	जशपुरनगर	625.72	625.72	0.00
7	धरमजयगढ़	1912.45	1912.45	0.00
8	रायगढ़	1192.15	1192.11	0.04
9	मरवाही	663.34	663.34	0.00
10	कटघोरा	1891.71	1891.71	0.00
11	कोरबा	1299.88	1299.01	0.87
12	जांजगीर चांपा	84.95	84.95	0.00
13	बिलासपुर	423.29	423.29	0.00
14	महासमुन्द	1907.79	1907.79	0.00
15	रायपुर	535.21	535.21	0.00
16	धमतरी	610.31	610.31	0.00
17	पूर्व रायपुर	1560.28	1560.28	0.00
18	उदन्ती	473.69	473.69	0.00
19	कांकेर	836.42	836.42	0.00
20	उत्तर कोण्डागांव	415.10	415.10	0.00
21	दक्षिण कोण्डागांव	311.01	311.01	0.00
22	नारायणपुर	350.72	350.72	0.00
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	2286.95	2286.95	0.00
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	1286.16	1286.16	0.00
25	सुकमा	1223.48	1187.23	36.25
26	बीजापुर	1247.33	1247.33	0.00
27	जगदलपुर	288.14	288.14	0.00
28	दत्तेवाड़ा	424.49	424.49	0.00
29	दुर्ग	492.96	492.96	0.00
30	कवर्धा	707.25	707.25	0.00
31	राजनांदगांव	1491.82	1491.82	0.00
32	खैरागढ़	688.00	688.00	0.00
	योग	31041.86	31004.70	37.16

परिशिष्ट - 'ठ'

मूलभूत सुविधा हेतु वर्ष 1998 से 2007 तक उपलब्ध राशि

(राशि रु. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 1998 से 2007 तक		
		मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	जिला यूनियन द्वारा कराये गये कार्यों की राशि	जिला यूनियन द्वारा राशि के कार्य कराने के शेष (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	356.09	333.32	22.77
2	पूर्व सरगुजा	111.19	103.85	7.35
3	मनेन्द्रगढ़	245.96	244.08	1.87
4	कोरिया	213.06	169.81	43.26
5	दक्षिण सरगुजा	145.40	108.92	36.48
6	जशपुरनगर	64.41	58.73	5.68
7	धर्मजयगढ़	594.42	548.47	45.95
8	रायगढ़	336.56	310.81	25.75
9	मरवाही	180.00	140.62	39.38
10	कटघोरा	643.45	607.86	35.59
11	कोरबा	510.42	504.63	5.79
12	जांजगीर-चांपा	5.49	3.04	2.45
13	बिलासपुर	44.37	40.65	3.73
14	महासमुन्द	657.58	570.43	87.15
15	रायपुर	242.89	166.81	76.07
16	धमतरी	318.30	255.36	62.93
17	पूर्व रायपुर	707.65	669.51	38.14
18	उदन्ती	169.68	158.07	11.61
19	कांकेर	334.91	185.29	149.62
20	उ. कोण्डागांव	132.20	92.92	39.28
21	द. कोण्डागांव	98.01	72.31	25.70
22	नारायणपुर	64.65	55.45	9.20
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	811.78	602.44	209.34
24	प. भानुप्रतापपुर	291.59	258.66	32.93
25	सुकमा	393.86	232.84	161.03
26	बीजापुर	433.18	325.79	107.39
27	जगदलपुर	71.93	69.81	2.11
28	दन्तेवाड़ा	100.20	91.23	8.97
29	दुर्ग	190.70	94.32	96.38
30	कवर्धा	168.15	152.20	15.95
31	राजनांदगांव	570.23	460.35	109.88
32	खैरागढ़	189.63	86.25	103.37
योग		9397.92	7774.81	1623.11

परिशिष्ट - 'ड'

वन एवं वनोपज का विकास हेतु उपलब्ध राशि

(राशि रु. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वन एवं वनोपज के विकास हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	आहरित राशि
1	2	3	4
1	उत्तर सरगुजा	190.45	54.99
2	पूर्व सरगुजा	84.25	69.54
3	मनेन्द्रगढ़	125.32	115.90
4	कोरिया	122.59	68.64
5	दक्षिण सरगुजा	81.31	56.44
6	जशपुरनगर	59.65	49.85
7	धर्मजयगढ़	329.55	245.67
8	रायगढ़	197.46	163.18
9	मरवाही	96.11	81.68
10	कटघोरा	338.20	338.49
11	कोरबा	291.64	276.78
12	जांजगीर-चांपा	4.17	1.90
13	बिलासपुर	13.27	28.17
14	महासमुन्द	319.58	309.74
15	रायपुर	147.10	95.00
16	धमतरी	194.69	193.93
17	पूर्व रायपुर	423.70	305.86
18	उदन्ती	80.70	70.68
19	कांकेर	193.15	166.31
20	उ. कोण्डागांव	135.29	97.45
21	द. कोण्डागांव	125.46	95.54
22	नारायणपुर	42.24	36.83
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	414.55	300.98
24	प. भानुप्रतापपुर	148.37	139.07
25	सुकमा	303.23	111.82
26	बीजापुर	325.62	168.93
27	जगदलपुर	88.58	81.08
28	दन्तेवाड़ा	75.63	45.60
29	दुर्ग	95.39	95.39
30	कवर्धा	76.47	73.34
31	राजनांदगांव	319.89	277.08
32	खैरागढ़	103.31	102.56
योग		5546.92	4318.41

परिशिष्ट-‘ढ’

वर्ष 2014 में तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को चप्पल वितरण की प्रगति की जानकारी

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन में उपलब्ध कराई गई चप्पलों की संख्या	वितरित चप्पलों की संख्या	वितरण हेतु शेष चप्पलों की संख्या
1	2	3	4	5
1	कोरिया	25251	25251	0
2	मनेन्द्रगढ़	27320	27320	0
3	जशपुरनगर	31937	31937	0
4	बलरामपुर	100648	99119	1529
5	सरगुजा	28713	26822	1891
6	सूरजपुर	50383	49506	877
7	बिलासपुर	28291	28291	0
8	मरवाही	25025	25025	0
9	कटघोरा	67035	67035	0
10	कोरबा	38270	38270	0
11	जांजगीर-चांपा	10170	10007	163
12	रायगढ़	55138	55138	0
13	धरमजयगढ़	51515	51515	0
14	बलौदाबाजार	26702	26702	0
15	गरियाबंद	64348	64348	0
16	धमतरी	30939	30939	0
17	महासमुंद	105580	105580	0
18	बालोद	28435	28435	0
19	राजनांदगांव	54189	54189	0
20	खैरागढ़	23150	23150	0
21	कवर्धा	28823	28823	0
22	कांकेर	37031	37014	17
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	36899	36899	0
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	35592	35592	0
25	नारायणपुर	17708	17708	0
26	दक्षिण कोण्डागांव	28220	28220	0
27	उत्तर कोण्डागांव	28962	28962	0
28	जगदलपुर	31311	31311	0
29	दंतेवाड़ा	29075	29075	0
30	बीजापुर	43933	43933	0
31	सुकमा	62154	62154	0
	योग	1252747	1248270	4477

विषय क्रमांक - 3

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।

(i) संघ में रिक्त पदों की भरती -

संघ में जो भी रिक्त पद होंगे उन पर भरती संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

(ii) वनोपज सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मण्डल -

वर्ष 2008 में 896 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों तथा 32 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों में संचालक मण्डल की गठन की प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा प्रदेश में प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर में संचालक मण्डल के गठन हेतु निर्वाचन कराया गया था । प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का कार्यकाल क्रमशः 02.05.2013, 06.05.2013 तथा 09.05.2013 को समाप्त हो गया है । इसी प्रकार जिला यूनियन का दिनांक 06.07.2013 को एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का दिनांक 11.09.2013 को कार्यकाल समाप्त हो गया है । अतः प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में बहिर्गामी प्रबंध समिति के कार्यकाल का अवसान हो जाने पर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) के अधीन कार्यवाही करते हुये समस्त समितियों में प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की गई है । इसी प्रकार जिला वनोपज सहकारी यूनियनों में भी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 49(4)(8) के तहत प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है । छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज सहकारी संघ में भी बहिर्गामी प्रबंध समिति के संचालकों द्वारा स्वमेव पद रिक्त किये जाने से संचालक मण्डल की समस्त शक्तियां रजिस्ट्रार में निहित हो गई है ।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन 2012) अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सहकारी समितियों में संचालक मण्डल के गठन हेतु निर्वाचन कराये जाने का अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को है । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कराने हेतु लेख किया जावेगा तथा उनके द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाने पर निर्वाचन में सहयोग की कार्यवाही की जावेगी । समितियों द्वारा संचालक मण्डल की निर्वाचन कराये जाने हेतु समिति स्तर पर तैयारी पूर्ण है ।

(iii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा -

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत मृत्यु की दशा में राशि रूपये 25,000/- का बीमा कराया गया है ।

वर्ष 2014-15 में इस योजना अन्तर्गत 867 समिति प्रबंधकों का बीमा कराया गया है। वर्ष 2015-16 हेतु समिति प्रबंधकों का पुनः समूह बीमा का नवीनीकरण कराया जावेगा ।

(iv) तेन्दूपत्ते का व्यापार -

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2014 एवं पूर्व के वर्षों के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2015 में कुल 950 लाटों में लगभग 16.438 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । अनुमानित तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय आनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करके की जावेगी । इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य कराया जाकर अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं को तेन्दूपत्ता का परिदान दिया जावेगा तथा क्रेता करारनामा की शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी । तेन्दूपत्ता संग्रहण में कुल रु. 197.26 करोड़ की संग्रहण पारिश्रमिक के वितरण का अनुमान है । तेन्दूपत्ता संग्रहण, उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण के विस्तृत निर्देश प्रमुख सचिव, वन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समस्त कलेक्टर तथा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ को जारी किया जा चुका है । इस कार्य में सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाएँ ली जावेगी ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण में शासन के विभिन्न विभागों, प्राथमिक वनोपज समितियों, पंचों/सरपंचों, ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों के द्वारा सक्रिय भूमिका अदा की जाना है ताकि अच्छी गुणवत्ता का अधिक से अधिक पत्ता संग्रहित हो सके तथा संग्राहकों को सही समय से संग्रहण पारिश्रमिक प्राप्त हो सके ।

(v) कुल्लू गोंद का व्यापार -

वानिकी वर्ष 2014-15 सीजन में कुल्लू गोंद वर्ग-1 की 5 इकाईयाँ जिसका संभावित उत्पादन लगभग 410 क्विंटल है, के विक्रय की कार्यवाही की जावेगी । अग्रिम में नियुक्त क्रेता के द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर पर संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान संग्राहकों को किया जावेगा । अनुमानित उत्पादन के अनुसार वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में (30 जून तक) लगभग रु. 103.78 लाख की संग्रहण पारिश्रमिक संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है ।

संग्रहण वर्ष 2015-16 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी ।

(vi) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) का व्यापार -

वानिकी वर्ष 2014-15 सीजन में संभावित उत्पादन कुल 920 क्विंटल है । विगत वर्ष गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) की 2 इकाईयों का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया जा चुका था । शेष 19 अनिर्वर्तित इकाईयों में संग्रहित होने वाली अनुमानित 860 क्विंटल गोंद का विभागीय संग्रहण कार्य कराया जाकर भंडारित मात्रा के निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी । अनुमानित उत्पादन के अनुसार वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में (30 जून

तक) लगभग रु. 20.28 लाख की संग्रहण पारिश्रमिक संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है ।

संग्रहण वर्ष 2015-16 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(vii) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना - भारत सरकार की “Mechanism for Marketing of Minor Forest Produce (MFP) through Minimum Support Price (MSP) and Development of Value Chain for MFP” योजना अंतर्गत प्रदेश में निम्न वनोपजों का संग्रहण कर विक्रय की कार्यवाही किया जावेगा ।

1. **सालबीज** - संग्रहण वर्ष 2015 के सालबीज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य भी वर्ष 2014 की भांति संघ द्वारा सालबीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 10/- प्रति किलो की दर से सालबीज का संग्रहण किया जावेगा । वर्ष 2015 में 4 लाख क्विंटल सालबीज उत्पादित होने का अनुमान है । जिससे संग्राहकों को रुपये 40 करोड़ संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में वितरण होने का अनुमान है ।
2. **हर्रा** - संग्रहण वर्ष 2014-15 में संघ द्वारा हर्रा का समर्थन मूल्य रु. 11/- प्रति किलो की दर से हर्रा का संग्रहण कर विक्रय किया जावेगा । संग्रहण वर्ष 2014-15 में विभिन्न जिला यूनियनों में 39 हर्रा इकाईयों में लगभग 49050 क्विंटल हर्रा का उत्पादन होना संभावित है । संग्रहण वर्ष 2015-16 में संघ द्वारा भारत शासन की 'Marketing & Development of MFP through MSP' योजनान्तर्गत हर्रा का समर्थन मूल्य रु. 11/- प्रति किलो की दर से हर्रा का संग्रहण कर विक्रय किया जावेगा । संग्रहण वर्ष 2015-16 में विभिन्न जिला यूनियनों में 39 हर्रा इकाईयों में लगभग 49050 क्विंटल हर्रा का उत्पादन होना संभावित है ।
3. उक्त योजनान्तर्गत इमली, लाख, चिरौंजी तथा महुआ बीज एवं शासन आदेश अनुसार अन्य प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय कर विक्रय किया जावेगा ।
4. इसके अतिरिक्त इस योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अधोसंरचना विकास संबंधी कार्य भी कराये जावेंगे ।

(viii) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है तथा जिनके परिवार ने वर्ष 2013 या 2014 में न्यूनतम 500 गड्डी तेन्दूपत्ता तोड़ा है, को समूह बीमा योजना का लाभ वर्ष 2015-16 में भी प्राप्त होगा । अटल तेन्दूपत्ता संग्राहक योजना भी वर्ष 2015-16 में लागू रहेगी ।

(ix) तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के है तथा जिनके परिवार ने वर्ष 2013 या 2014 में न्यूनतम 500 गड्डी पत्ता तोड़ा है, के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की “जनश्री” बीमा योजना वर्ष 2015-16 में भी लागू रहेगी तथा इससे मिलने वाले सभी लाभ संग्राहक परिवार को उपलब्ध कराये जावेंगे। इस योजना से संलग्न मुखिया के 2 बच्चों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी वर्ष 2015-16 में प्राप्त होगा।

(x) शिक्षा प्रोत्साहन योजना -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु प्रचलित निम्नलिखित शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015-16 में भी लागू रहेगी।

- (1) व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति
- (2) मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार
- (3) गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना
- (4) तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना

(xi) वर्ष 2014 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण -

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2014 में तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की राशि में से शासन के निर्देश उपरांत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किया जावेगा।

(xii) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य -

तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है। वर्ष 1998 से 2007 तक की राशि रुपये 93.98 करोड़ जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का उपलब्ध कराई जा चुकी है जिनके विरुद्ध अभी तक रुपये 77.75 करोड़ के कार्य ही कराये गये हैं एवं अवशेष राशि रुपये 16.23 करोड़ के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों करावें जावेंगे।

(xiii) वन एवं वनोपज का विकास -

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ-व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जावेंगे। इस हेतु जिला यूनियनों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति के आधार पर इस हेतु उपलब्ध अवशेष राशि रुपये 12.29 करोड़ में से राशि उपलब्ध करायी जा कर कार्य कराये जावेंगे।

(xiv) जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण -

संघ मुख्यालय की लेखा पुस्तकों एवं जिला यूनियनों के लेखा पुस्तकों का मिलान करने हेतु संघ मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण कर उनके कार्यालयों का लेखा मिलान, आय, व्यय, भंडार एवं स्कंध सम्बन्धी प्रविष्टियों एवं संधारित अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(xv) तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका का वितरण -

शासन की स्वीकृति उपरान्त वर्ष 2015-16 में वितरित की जाने वाली चरणपादुकाओं को क्रय कर वितरण की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(xvi) आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान-

आदिवासी मामलों के मंत्रालय भारत शासन, नई दिल्ली को वर्ष 2014-15 में रु. 5.67 करोड़ की परियोजना भेजी गई है, जिसकी स्वीकृति अप्राप्त है। राशि प्राप्त होने पर गोदाम निर्माण व लघु वनोपज के उपार्जन/प्रसंस्करण कार्य वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में भी कराया जावेगा।

(xvii) आदिवासी उपयोजना राज्य शासन का अनुदान -

राज्य शासन की नवीन योजनान्तर्गत लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु राशि रु. 2.00 करोड़ प्राप्त हुआ है। इस राशि से इमली, आंवला एवं तिखुर आदि के प्रसंस्करण कार्य वर्ष 2015-16 में प्रस्तावित है।

(xviii) रु. 32 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता -

वर्ष 2009-10 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से रु. 32.00 करोड़ की एकमुश्त राशि लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु प्राप्त हुई है। इस राशि से नयनपुर-गिरिवरगंज में Cassia Tora Gum o Cssia Tora Powder Unit तथा रायपुर बरौदा में Herbal Extraction and Ayurvedic Medicines (For Both Human & Animal Healthcare) इकाई स्थापित किये जाने हेतु Manufacturing Unit हेतु प्राइवेट पार्टनर से Request for Proposal (RFP) आमंत्रित किए जाने हेतु ऑन लाइन ई-निविदा हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया है। जिसके अनुसार कार्यवाही कर प्रसंस्करण इकाई एवं Request for Proposal (RFP) संबंधी कार्य की जावेगी।

(xix) यूरोपियन कमीशन परियोजना -

यूरोपियन कमीशन द्वारा स्वीकृत अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना :

यूरोपियन कमीशन से स्वीकृत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वनाधारित जीविकोपार्जन की परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना वर्ष 2015-16 में किए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. संसाधन सर्वेक्षण -

इस घटक के अंतर्गत लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण का अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर “छत्तीसगढ़ राज्य के वानस्पतिक प्रजातियों का संसाधन सर्वेक्षण प्रतिवेदन” पुस्तिका प्रकाशन किया गया है, जिसका उपयोग लघु वनोपज संबंधी कार्यों में किया जावेगा ।

2. हर्बल हेल्थ केयर -

इस घटक के अंतर्गत इथनाबॉटनिकल सर्वेक्षण में प्राप्त वनौषधी योगों के आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के दल द्वारा सत्यापन पश्चात अग्रिम अनुसंधान हेतु प्रस्तावित योगों का CCRAS, New Delhi से अनुसंधान कार्य कराया जावेगा । परियोजना अंतर्गत स्थापित 50 वनौषधालयों के सतत् संचालन हेतु परम्परागत वैद्यों को मार्गदर्शन प्रदाय कर वनौषधालयों का संचालन किया जावेगा ।

3. लघु वनोपज संग्रहण -

लघु वनोपज के संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित कर जिला यूनियन, स्व-सहायता समूहों को सूचित किया जावेगा । संग्रहित किये जाने वाले वनोपज का प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा कराया जावेगा । अतिरिक्त वनोपज का भंडारण किया जाकर मांग के समय निविदा अथवा मार्ट द्वारा विक्रय किया जावेगा ।

4. लघु वनोपज आधारित माइक्रोइंटरप्राइजेस -

इस वर्ष परियोजना लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु शेष कार्य किए जावेंगे तथा स्वीकृत माइक्रोइंटरप्राइजेस की सुदृढीकरण हेतु कार्यवाही किए जावेंगे ।

5. विपणन :

इस घटक के तहत प्रसंस्कृत लघु वन उत्पाद, हर्बल उत्पादों के पैकेजिंग में सुधार, ब्राण्ड प्रमोशन का कार्य किया जावेगा । साथ ही संजीवनी केन्द्रों का सुदृढीकरण एवं विक्रय प्रगति बढ़ाने हेतु कार्यवाही किए जावेंगे ।

6. अनुसंधान विस्तार, एम.आई.एस एवं प्रमाणीकरण -

परियोजना अंतर्गत अनुसंधान एवं विस्तार हेतु तकनीकी सहायता के लिए स्वीकृति परियोजनाओं से संबंधित कार्यवाही की गई। एम.आई.एस. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संचालित कार्यों की समीक्षा की जावेगी। साथ ही लघु वन/कृषि उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण पर कार्य किया जावेगा।

7. क्षमता विकास -

इस घटक के तहत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, वन समिति, वन अलमे का सशक्तिकरण तथा हितग्राहियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यवाही किए जावेंगे।

8. स्व-सहायता समूहों एवं माइक्रोइंटरप्राइजेस का मूल्यांकन -

यूरोपियन कमीशन के तहत कार्यरत स्व-सहायता समूहों एवं संचालित माइक्रोइंटरप्राइजेस Performance Appraisal किया गया, जिसके सुझाव अनुसार परियोजना अंतर्गत प्रगति लाये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु एक मिशन एक्शन ग्रुप का भी गठन संघ में किया गया है।

(xx) लाख विकास योजना -

अधिक से अधिक हितग्राहियों को सम्मिलित करते हुये लाख पालन क्षेत्रों का विस्तार करने हेतु राज्य शासन द्वारा लाख विकास योजना मद से प्राप्त होने वाली राशि रु. 457.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के तहत स्वीकृत लाख पालन एवं प्रसंस्करण माइक्रोइंटरप्राइजेस के तहत वर्ष 2015-16 में परियोजना की शेष राशि रु. 3.74 करोड़ से अवशेष कार्य संपादित किया जाना प्रस्तावित है।

(xxi) लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना -

लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कर विनाश विहीन विदोहन के सिद्धांत पर क्षेत्र में पायी जाने वाली मुख्य वनौषधि प्रजातियों की पहचान करते हुये उनका संग्रहण एवं प्रसंस्करण के साथ ही साथ क्षेत्र के जैविक विविधता को बनाये रखने के उद्देश्य से उसकी सुरक्षा एवं संवर्धन का प्रयास किया जावेगा। वर्ष 2015-16 में प्रदेश के विभिन्न जिला यूनियनों में प्रति जिला यूनियन 1000 हेक्टेयर के मान से 20 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का कार्य किया जावेगा तथा साथ ही विगत वर्षों के स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के रख-रखाव का कार्य भी किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद से राशि रु. 265.00 लाख (प्रस्तावित) एवं संघ मद से रु. 397.00 लाख का प्रावधान लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए रखा गया है।

विषय क्रमांक - 4

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये बजट की स्वीकृति ।

वर्ष 2015-16 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

अनुमानित व्यय

(अ) लघु वनोपज संग्रहण अनुमानित व्यय -

अ. क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रु.लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2015	16.438	लाख मा.बो.	1800.00 प्रति मा.बोरा	29588.400
2.	कुल्लू गोंद	2014-15	12.30	टन (श्रेणी-I)	271100.00 प्रति टन	33.345
		2015-16	21.53	टन (श्रेणी-I)	271100.00 प्रति टन	72.986
			7.18	टन (श्रेणी-II)	203600.00 प्रति टन	
3.	धावड़ा, खैर बबूल, गोंद	2014-15	14.72	टन (धावड़ा)	29800.00 प्रति टन	8.405
			22.08	टन (खैर/बबूल)	18200.00 प्रति टन	
		2015-16	22.08	टन (अग्रिम)	29800.00 प्रति टन	16.675
योग						29719.812

(ब) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय -

अ. क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रु. लाख में)
1.	यूरोपियन कमीशन परियोजना	111.00
2.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	300.00
3.	लाख विकास योजना	457.00
4.	पी.पी.ए. सरकार मद	265.00
5.	पी.पी.ए. संघ मद	397.00
6.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
7.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	2000.00
8.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	550.00
9.	न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना	8000.00
योग		12454.00

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (लाख में)

अ. क्र.	विवरण	वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान	दिनांक 31.08.2014 तक का वास्तविक व्यय	वर्ष 2014-15 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2015-16 हेतु प्रस्ताव
1.	वेतन भत्ते	400.00	137.72	350.00	400.00
2.	चिकित्सा व्यय	30.00	7.99	30.00	30.00
3.	यात्रा भत्ता	25.00	1.11	10.00	15.00
4.	अन्य भत्ते/व्यय	10.00	4.13	10.00	11.00
5.	ई.पी.एफ. अंशदान	50.00	18.80	50.00	50.00
6.	पेंशन अंशदान	20.00	5.49	20.00	20.00
7.	ग्रेज्युटी(उपादान)	25.00	0.00	50.00	50.00
8.	सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण	50.00	0.00	50.00	50.00
9.	कर्मचारी बोनस	1.00	0.00	1.00	1.00
10.	लेखन सामग्री छपाई	15.00	51.28	60.00	65.00
11.	पोस्टेज/टेलीफोन	10.00	1.85	10.00	10.00
12.	भवन किराया /बिजली	20.00	7.70	20.00	20.00
13.	विज्ञापन प्रचार/प्रसार	60.00	21.02	55.00	60.00
14.	संचालक मंडल तथा आमसभा	5.00	3.23	5.00	5.00
15.	वाहन व्यय	20.00	6.71	20.00	20.00
16.	प्रशिक्षण	10.00	0.00	10.00	10.00
17.	विविध आकस्मिक	15.00	6.81	15.00	18.00
18.	अंकेक्षण शुल्क	75.00	0.00	75.00	75.00
19.	न्यायालयीन व्यय	5.00	0.77	5.00	5.00
20.	घसारा	250.00	0.00	250.00	250.00
21.	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	10.00	0.00	10.00	10.00
योग :-		1106.00	274.61	1106.00	1175.00

(द) पूंजीगत व्यय (लाख में)

1.	स्थायी संपत्ति हेतु प्रावधान	700.00	0.00	700.00	1500.00
2.	शासकीय ऋण का भुगतान	50.00	0.00	10.00	10.00
3.	अंशपूंजी क्रय	5.00	0.00	1.00	1.00
4.	वाहन खरीदी हेतु प्रावधान	50.00	0.00	54.00	55.00
5.	कार्यालयीन उपकरण एवं फर्नीचर क्रय	10.00	0.00	50.00	70.00
योग :-		815.00	0.00	815.00	1636.00

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2015-16 में वनोपज की बिक्री से रू. 47012.433 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	46882.980
2.	हरा	2.540
3.	कुल्लू गोंद	99.220
4.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद	27.693
	योग	47012.433

उपरोक्त तालिका में दर्शायी आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(अ)	तेन्दूपत्ता	
1.	वर्ष 2013 सीजन में गोदामीकृत 1.812 लाख मानक बोरा में से अविक्रित 0.663 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 1000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य ।	663.000
2.	वर्ष 2014 सीजन में गोदामीकृत 1.279 लाख मानक बोरा में से अविक्रित 1.168 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 2000/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य ।	2336.00
3.	वर्ष 2015 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 16.438 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.438 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 2700/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90% राशि ।	39944.340
4.	वर्ष 2016 सीजन के हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.438 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 2800/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	4602.640
	योग	46882.980

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(ब)	हर्रा	
1.	वर्ष 2012-13 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 5.611 टन के रु. 6500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.365
2.	वर्ष 2013-14 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 31.072 टन के लिये रु. 7000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	2.175
	योग :-	2.540
(स)	कुल्लू गोंद	
1.	वर्ष 2014-15 सीजन की वर्ष 2015-16 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष 40% मात्रा 16.4 टन के रु. 200000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	32.800
2.	वर्ष 2015-16 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 41 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रु. 300000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	66.420
	योग :-	99.220
(द)	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद	
1.	वर्ष 2002-03 की अवशेष मात्रा 0.14 टन के रु. 800/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.001
2.	वर्ष 2014-15 सीजन की वर्ष 2015-16 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष 40% मात्रा 36.8 टन के रु. 28000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	10.304
3.	वर्ष 2015-16 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 92.0 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रु. 35000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	17.388
	योग :-	27.693
	महायोग आय :-	47012.433

(ब) विविध आय -

अ.क्र.	विवरण	राशि (रुपये लाख में)
1.	वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय	4000.00
2.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल) के विनियोजन से प्राप्त आय	600.00
	योग :-	4600.00

(स) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रु. लाख में)
1.	यूरोपियन कमीशन परियोजना	111.00
2.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	300.00
3.	लाख विकास योजना	457.00
4.	पी.पी.ए. सरकार मद	265.00
5.	पी.पी.ए. संघ मद	397.00
6.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	374.00
7.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	2000.00
8.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	550.00
9.	न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना	8000.00
	योग	12454.00

प्रारंभिक स्कन्ध

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रुपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	2999.000
2.	हर्रा	2.540
3.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	32.800
4.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	10.305
	योग :-	3044.645

अंतिम स्कन्ध का मूल्य

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रुपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	7.380
3.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	1.932
	योग	9.312

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रुपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	47012.433
2.	विविध आय	4600.00
3.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	12454.00
4.	अंतिम स्कन्ध का मूल्य	9.312
	महायोग	64075.745

अ.क्र.	व्यय	राशि (रुपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	29719.812
2.	कार्यालयीन व्यय	1175.000
3.	पूँजीगत व्यय	1636.000
4.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	12454.00
5.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	3044.645
6.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय/विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	15446.288
	महायोग	63475.745

आधिक्य (लाख में)

कुल आय	64075.745
कुल व्यय	63475.745
संघ का शुद्ध लाभ	600.000

विषय क्रमांक - 5

विषय :- वर्ष 2013-14 के अंतिम वित्तीय पत्रकों पर अनुमोदन ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित से 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियन संबद्ध है । राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के संग्रहण एवं अन्य शासकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि जिला वनोपज सहकारी यूनियनों को अग्रिम के रूप में प्रदाय की जाती है । उक्त राशि के व्यय उपरांत व्यय लेखे जिला यूनियन से प्राप्त कर संघ की लेखा पुस्तकों में समायोजित किया जाता है एवं इसी प्रकार विक्रित वनोपज का विक्रय लेखों का समायोजन किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में समस्त 31 जिला यूनियनों के प्राप्त वार्षिक लेखों का परीक्षण कर समायोजन उपरांत संघ के अंतिम पत्रक (व्यापार पत्रक/लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक) तैयार किये गये है, जिसकी प्रति अनुमोदन हेतु **संलग्न** है ।

उक्त तैयार वित्तीय पत्रक की प्रति अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, रायपुर को प्रेषित की जा चुकी है ।



**C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
AGENCY TRADING ACCOUNT FOR THE YEAR 2013-14**

TENDU PATT A

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		82,67,01,453.56			3,99,72,21,143.98
Tendu Patta	82,67,01,453.56		By Sales	3,99,72,21,143.98	
To Purchase		2,00,59,97,143.20	Tendu Patta		
Tendu Patta (Collection)	2,00,59,97,143.20				
To Direct Expenses		38,14,84,934.85	By Direct Incomes		13,07,60,898.66
Rebate on T.P. Sale	1,39,60,839.72		Interest & Other Income	8,30,27,250.85	
Godown rent	55,092.00		Mis. Income Through D.U.	4,77,33,647.81	
Godown Insurance Premium	4,19,846.00				
M.F.P. Insurance Premium	11,78,807.00				
MFP Pluckers Ins sch (Janshree) Fed	95,86,886.00				
T.P. Collector's Group Insurance	97,02,521.00				
Establishment Expenses of Societies	17,58,28,268.00		By Closing Stock		26,17,98,768.99
Establishment & Adminst. Exp of D.U.	17,05,70,471.13		Tendu Patta	26,17,98,768.99	
Stationary and Printing	9,769.00				
Society Manager's Group Insurance	1,72,435.00				
To People's Protected Area	3,53,73,429.89	3,53,73,429.89			
(Fed. Head) Tendupatta		1,14,02,23,850.13			
To Surplus		4,38,97,80,811.63	TOTAL		4,38,97,80,811.63
TOTAL					

SALSEED

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock		10,55,70,270.46			9,25,56,069.17
Sal Seed	10,55,70,270.46		By Sales	9,25,56,069.17	
To Purchase		85,65,984.78	Sal Seed		
Salseed Collection (Purchase)	85,65,984.78		By Direct Incomes		27,17,823.16
To Direct Expenses		23,200.00	Interest & Other Income	27,17,823.16	
Stationary and Printing	23,200.00				
To People's Protected Area	59,697.50	59,697.50	By Closing Stock		2,62,04,099.78
(Fed. Head) Salseed			SalSeed	2,62,04,099.78	
To Surplus		72,58,839.37			
TOTAL		12,14,77,992.11	TOTAL		12,14,77,992.11

HARRA

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock Harra		2,16,59,831.87	By Sales Harra Sale	2,63,47,140.85	2,63,47,140.85
To Purchase Harra Collection (Purchase)	2,24,06,126.50	2,24,06,126.50	By Direct Incomes Interest & Other Income	14,533.74	14,533.74
To Direct Expenses Rebate on Harra Sale	1,76,453.54	1,76,453.54	By Closing Stock Harra	93,13,171.48	93,13,171.48
To People's Protected Area (Fed. Head) Harra	3,85,615.86	3,85,615.86			
TOTAL		4,46,28,027.77	By Loss		89,53,181.70
			TOTAL		4,46,28,027.77

GUM

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT
To Opening Stock Gum		12,01,214.17	By Sales Gum Sale	55,72,093.00	55,72,093.00
To Purchase Gum Collection (Purchase)	63,25,964.00	63,25,964.00	By Direct Incomes Interest & Other Income		0.00
To Direct Expenses Rebate on Gum Sale		63,25,964.00	By Closing Stock Gum	24,82,014.27	24,82,014.27
To People's Protected Area (Fed. Head) Gum	1,26,120.70	1,26,120.70			
To Surplus	4,00,808.40	4,00,808.40			
TOTAL		80,54,107.27	TOTAL		80,54,107.27

DETAILS OF SURPLUS ON MINOR FOREST PRODUCE

PARTICULARS	AMOUNT	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
Tendu Patta Harra	1,14,02,23,850.13	1,14,02,23,850.13	Harra	89,53,181.70
Salseed	72,58,839.37	72,58,839.37	Gross Surplus	1,13,89,30,316.20
Gum	4,00,808.40	4,00,808.40		
TOTAL	1,14,78,83,497.90	1,14,78,83,497.90	TOTAL	1,14,78,83,497.90

Sd/-

Asst. Account Officer

Sd/-

MANAGER (ACCTS.)

Sd/-

MANAGER (FINANCE)

Sd/-

MANAGING DIRECTOR



**C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
AGENCY PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2013-14**

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO ESTABLISHMENT EXPENSES		BY GROSS SURPLUS B/F	
Salary & Wages	2,77,17,972.00		1,13,89,30,316.20
E. P. F. Administrative Charges	6,76,583.00	BY INDIRECT INCOMES	44,26,16,305.73
Medical Expenses	16,72,931.00	House Rent Licence Fees	65,654.00
Travelling Expenses	16,90,231.00	Interest Earned on FDR	37,31,92,289.81
House/office Rent to Owner	10,01,025.00	Interest Earned on Saving Account	1,59,17,096.43
Orderly Allowance	8,36,062.00	Miscellaneous Income	91,93,745.49
Vehicle Insurance Charges	81,381.00	Vehicle Charges Recovered	27,519.00
E. P. F. Contribution Expenses	46,00,764.00	Interest recd. From Employee	14,700.00
Pension Contribution Expenses	15,30,344.00	Misc. Received Under Information Rights	2,257.00
Vehicle Expenses (Rent) Registration	5,56,268.91	Godown Rent Received	48,92,522.00
Petrol, Oil & Lubricant.	11,79,472.09	Interest earned on FFD A/c	1,77,52,425.00
Children Education Allowance	15,000.00	EIMD/SD Forfeited	5,35,000.00
Group Gratuity Expenses	1,78,478.00	Fee/Penalty recovered from Traders	1,25,58,038.00
Group Leave Encashment Premium & Others	24,786.00	Interest Earned on Group Leave Encashment Ac	31,43,725.00
Group Leave Encashment Payment	5,17,446.00	Interest Earned on Group Gratuity Account	53,21,334.00
Group Gratuity Payment	19,06,402.00		
		BY INTEREST EARNED ON FEDERATION SEED CAPITAL (APEX BANK)	5,36,65,139.00
TO INDIRECT EXPENSES	13,82,405.50		
Conveyance Exp.	61,513.00		
Honorarium Exp	1,27,500.00		
Training Exp	1,25,000.00		
Fed. House Building Maintenance A/c	1,78,125.00		
Consumable Store	4,82,645.00		
Penalty/Fine	4,07,622.00		
Small Balance Written off	0.50		

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO MANAGERIAL EXPENSES	61,95,632.60		
Stationary & Printing	9,22,968.00		
Books & Periodicals	6,755.00		
Postage & Telegram	28,908.00		
Electricity & Water Charges	4,11,870.00		
Advertisement Expenses	29,03,886.00		
Meeting Expenses	2,26,189.00		
Miscellaneous Expenses	10,38,853.00		
Vidhik Fees/litigation	1,56,904.00		
Telephone Expenses	4,05,501.00		
Bank Charges	38,417.60		
Computer Expenses	55,381.00		
TO DIST. UNION COMMISSION	31.00		31.00
TO DEPERICIATION CHARGES	1,69,03,800.00		1,69,03,800.00
TO CONTRIBUTION TO APEX CO-OP. UNION	500.00		500.00
TO AUDIT FEES	20,60,848.00		20,60,848.00
TO AUDIT FEES TO OTHERS	1,47,966.00		1,47,966.00
TO PAYABLE TO SOCIETY	1,51,06,70,291.83		1,51,06,70,291.83
TO INCENTIVE WAGES	1,20,85,36,233.00		
TO SALE PURCHASE & PROCESSING OF NON-NATIONALIZED MFP	22,66,00,544.00		
TO REVOLVING FUND	7,55,33,514.83		
TO COMMISSION TO FEDERATION	1.00		1.00
TO SURPLUS TRANSFERRED TO FEDERATION	5,36,65,139.00		5,36,65,139.00
TOTAL	1,63,52,11,760.93	TOTAL	1,63,52,11,760.93

Sd/-

Asst. Account Officer

Sd/-

MANAGER (ACCTS.)

Sd/-

MANAGER (FINANCE)

Sd/-

MANAGING DIRECTOR



C.G.STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
FEDERATION PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR 2013-14

PARTICULARS	AMOUNT	PARTICULARS	AMOUNT
TO NETT PROFIT C/O TO BALANCE SHEET	5,36,65,140.00	BY INTEREST EARNED ON FEDERATION CAPITAL	5,36,65,139.00
		BY COMMISSION ON MFP TRADE	1.00
TOTAL	5,36,65,140.00	TOTAL	5,36,65,140.00

Sd/-

Asst. Account Officer

Sd/-

MANAGER (ACCTS.)

Sd/-

MANAGER (FINANCE)

Sd/-

MANAGING DIRECTOR



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2014

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
<u>100000000.00</u>	AUTHORISED SHARE CAPITAL	<u>1000000000.00</u>					
	PAID UP SHARE CAPITAL	18,96,87,392.14			FIXED ASSETS		38,54,57,270.78
4,37,22,122.14	From Govt. Of C.G.	4,37,22,122.14		35,39,09,751.78	Godown & Building	34,80,42,593.78	
32,000.00	Distt. Union	32,000.00		0.00	Land (Naya Raipur)	3,74,14,677.00	
10,18,64,348.40	National Co-Op. Development Crop	10,18,64,348.40		1,23,50,968.67	VEHICLE (ASSETS)	1,28,73,407.67	1,28,73,407.67
54,47,622.40	Social Justice & Empowerment	54,47,622.40		3,11,72,544.14	FURNITURE AND DEAD STOCK	3,55,76,466.14	3,55,76,466.14
64,38,099.20	Tribal & Minority Welfare	64,38,099.20					
3,21,83,200.00	Share Capital for NCDC Godowns from C.G. Govt.	3,21,83,200.00		4,11,52,355.43	Development of Forest & Forest Produce	8,41,08,902.30	8,41,08,902.30
	DEPOSITS AND LOANS BEARING INTEREST	96,04,417.00			INVESTMENT		1,75,000.00
46,42,860.00	Margin Money Loan From M.P. Govt.	46,42,860.00		1,75,000.00	Purchase of Share	1,75,000.00	
49,36,657.00	Godown Loan From Central Govt.	49,36,657.00					
24,900.00	Godown Loan From N.C.D.C	24,900.00			LOANS & ADVANCES		7,38,67,892.34
				4,13,49,144.89	Distt. Union Advance	5,30,69,411.34	
	DEVELOPMENTAL PROJECTS	94,10,86,730.44		7,71,286.00	Advance To Staff	5,34,127.00	
5,62,76,620.00	41-2406 Aadivasi Up yojana-5091(PPA)	5,65,14,122.00		1,165.00	Advance To Others	1,165.00	
12,17,32,774.04	41-2406 Tribal Sub Plan 5231 Processing	11,59,55,374.04		1,25,000.00	Director Forest School Jagdalpur	1,25,000.00	
13,58,05,155.98	European Commission Project [10-2406-6725]	14,12,49,998.98		1,14,292.00	D.F.O.MIS Division Raipur	1,14,292.00	
27,86,63,144.03	Vaniki & Vanya Jeevan Project(10-2406-01-800)	0.00		26,36,021.60	Nagrak Apurti Nigam	26,36,021.60	
92,00,753.00	Bastar Vikas Pradhikaran	62,35,235.00		53,225.00	Director Guru Ghanasdas Natonak Park, Korea	53,225.00	
31,50,051.00	SargujaJaspur Vikas Pradhikaran	31,12,831.00		23,775.00	Director Kangher Ghaiti N.P. Jagdalpur	0.00	
90,53,763.11	UNDP-CCF-1 Bio Diversity Conservation Project	59,85,077.70		4,55,127.00	CGCERT	4,55,127.00	
5,21,18,387.00	41-2406 Lac Development Project 6854	6,98,51,783.00		2,33,724.00	G.S.L.I. Payment A/c	2,33,724.00	
37,23,38,851.00	Add Central Assistance Project (14-2406-102-5231)	40,63,58,660.62		0.00	Vaniki & Vanya Jeevan Project(10-2406-01-800)	1,66,45,799.40	
5,555.00	N.A.I.P Project (48)	3,145.30					
8,89,37,232.00	Lac Cultivation Project (SGSY)	8,25,93,526.00		176.10	Bills Payable	0.00	0.00
22,21,625.00	Tribal Co-operative Marketing Fed. Of India	3,49,663.30					
53,20,181.50	NATIONAL MEDICINAL PLANT BOARD (NMPE)	51,38,204.50			LIC (Group Grautity)		3,32,81,151.00
1,32,649.00	Chhattisgarh Biofuel Vikas Pradhikaran	1,32,649.00		2,45,86,833.00	Group Gratuity Contribution Fund	2,26,80,431.00	
759.00	International Development Research Center	759.00		52,79,386.00	Interest Accrued From Group Gratuity Fund	1,06,00,720.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
1,97,54,761.00	State Govt. Project for Processing Centre-5231	2,00,62,511.00		1,63,97,701.00	LIC (Group Leave Encashment Fund)		2,40,17,026.00
2,10,69,977.00	Campa Cold Storage Buildings A/c	2,73,16,341.00			Group Leave E. Contribution Fund	2,00,08,399.00	
2,00,00,000.00	Non National MFP Purchase at min.price (Sgovt.)	2,26,849.00		8,64,902.00	Interest Accrued From Group Leave Encashment Contribution Fund	40,08,627.00	
	FUNDS & RESERVES		66,77,16,085.89	0.00	REPAYABLE RECOVERIES	1,05,188.00	1,05,188.00
3,27,59,689.92	Reserve Funds	5,23,53,214.45			F.D.R./C.D.R./S.D.R.		6,40,32,51,636.00
21,96,70,498.53	Depreciation Funds	23,65,74,298.53		73,50,00,000.00	F.D.R. (Union Bank of India)	0.00	
23,26,64,774.42	General Reserves & Funds	22,78,41,780.49		52,23,58,533.00	FDR (Apex Bank) Fed Capital.	56,95,86,636.00	
1,01,72,103.66	Inventory Loss Funds	1,60,20,916.95		2,66,30,000.00	Flexible FD (PNB 3358)	1,60,60,000.00	
88,24,233.18	Co-operative Training & Publicity funds	1,46,73,046.47		0.00	Flexible FD (PNB 0058)	40,75,000.00	
1,86,55,550.19	Share Capital Redemption Funds	3,03,53,176.78		0.00	Flexible FD (PNB 83276)	11,30,000.00	
27,12,080.65	Co-op. Movement & Development Funds	44,66,724.64		56,00,000.00	FDR A/c State Bank of India	3,55,00,000.00	
17,08,642.30	Bad & Doubtful Debts Funds	28,78,404.96		1,14,25,000.00	Flexible FD (BOB)	19,00,000.00	
4,50,70,384.00	Subsidy for Godowns From NCDC	4,50,70,384.00		11,15,50,000.00	Flexible FD (PNB 191933)	0.00	
1,96,95,638.63	Building Fund	2,96,38,621.23		90,00,000.00	FDR (BOI)	0.00	
52,13,551.41	Vehicle Fund	78,45,517.39		65,30,00,000.00	FDR Allahabad Bank	26,00,00,000.00	
	OTHERS PAYABLE & PROVISIONS		24,56,21,829.99	2,55,00,00,000.00	FDR Central Bank	10,00,00,000.00	
81,08,031.52	Cash Incentive to Govt. Employee (Old)	0.00		50,00,00,000.00	FDR A/c (Bank of Baroda)	1,60,00,00,000.00	
75,34,525.79	Provision For Unadjusted Exp PPA	75,34,525.79		0.00	FDR A/c (IOB)	25,00,00,000.00	
999.91	Provision for unadjusted T.P.Collection Exp.	0.00		0.00	FDR A/c (Indusland Bank)	1,59,80,00,000.00	
14,32,01,577.81	Provision for People's Protected area(Federation Head)	16,57,96,241.76		1,71,20,00,000.00	FDR A/c (OBC Bank)	0.00	
1,86,51,675.04	Provision for Audit Fees	1,62,68,268.04		14,00,000.00	FDR A/c (PNB)	0.00	
4,000.00	Provision for Contribution to Apex Co-op. Union	0.00		0.00	FDR A/c (UCO Bank)	98,50,00,000.00	
4,66,59,079.00	Salseed Bonus Payable	86,07,457.50		0.00	FDR A/c (Axis Bank)	10,70,00,000.00	
4,91,51,727.00	MFP Pluckers Group Ins.(Janshri Bima)Govt.(New A/c)	4,61,77,855.00		0.00	FDR A/c (United Bank of India)	7,50,00,000.00	
7,49,884.00	Group Gratuity Payable Ac	9,72,530.00		0.00	FDR A/c (Apex Bank)	80,00,00,000.00	
1,43,969.00	Group Leave Encachment Payable A/c	2,64,569.00			BANK ACCOUNTS		55,47,57,277.16
0.00	Bills Payable	382.90			CURRENT		
	PAYABLE TO SOCIETIES(C.G.)		5,30,94,11,404.28	500.00	Apex Bank	500.00	
4,89,97,27,055.55	Incentive Wages to Pluckers C.G.	2,69,74,27,219.57		9,389.00	Bank of Baroda	86,679.00	
12,99,04,970.22	Infrastructure Development C.G.	12,63,62,067.22		47,386.62	Central Bank of India	0.00	

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
98,61,92,504.24	Revolving Fund	1,04,42,83,999.07		24,79,485.75	S.B.Indore	24,76,491.75	
1,44,83,69,274.42	Sale purchase processing of Non-nationalise MFP	1,44,13,38,118.42		6,808.61	Dena Bank	6,450.61	
2,95,748.00	REPAYABLE RECOVERIES	0.00	0.00	1,04,60,836.83	State Bank of India	6,80,316.83	
				16,74,87,469.31	State Bank of India 823	8,25,032.31	
				21,351.59	State Bank of India 157	47,278.59	
				0.00	ICICI Bank 6260	11,39,676.98	
				0.00	PNB 0058	53,89,009.16	
					SAVING		
3,27,43,420.29	VAT	0.00	1,83,18,734.55				
2,41,76,267.30	Forest Development Cess	1,62,53,082.65		43,50,869.17	Punjab National Bank(Ac414) saving	2,21,55,075.47	
12,00,752.98	Income Tax	16,87,057.12		88,95,00,612.63	Punjab National Bank(Ac191933)	64,82,822.48	
0.00	Commercial Tax	59,754.00		25,396.00	Punjab National Bank(Ac199494)	14,82,590.00	
0.00	Entry Tax on Sale	3,18,840.78		1,66,074.73	Inclus Ind Bank(Deposit @9.75% P.A.)	50,85,30,203.06	
				0.00	S.B.Indore (6301188288)	7,92,146.73	
				50,862.01	Apex Bank 10275	2,05,921.01	
				5,555.00	Punjab National Bank(Ac1066000100092456)	3,145.30	
9,068.00	F.R.L.H.T.	9,068.00	9,68,74,289.59	4,94,543.11	S.B.Indore (63024319363)	0.00	
7,28,02,197.50	Tendu Patra Purchasers	5,62,73,395.70		5,82,86,485.68	Axis Bank Ltd. 44794	9,58,745.68	
1,83,68,167.22	Sal Seed Purchasers	1,83,53,426.01		0.00	Axis Bank Ltd. 8171	61,263.00	
8,96,672.50	Harra Purchasers	14,17,609.05		8,16,506.00	PNB 9230	0.00	
3,65,413.72	Gum Purchasers	3,70,524.72		13,16,235.60	Axis Bank Ltd 80589	13,16,235.60	
2,65,85,534.00	Security Deposit other than M.F.P.	2,01,46,374.58		1,69,01,139.95	State Bank of India 28102	1,40,444.70	
59,090.00	TamilNadu Med.Plants and Herbal Med.Corp.	59,090.00		49,423.19	PNB 3358	42,536.49	
2,40,562.00	Triumalia Tirupati Dev Shanam , Tirupati	2,40,562.00		56,88,443.00	PNB 3276 (Campa)	46,393.30	
4,238.78	Charanpaduka Purchase A/c	4,239.53		0.00	State Bank of India 6047	10,90,537.11	
8,833.27	SBI 63011882888	0.00		7,66,803.00	IDBI 1506	7,97,782.00	
13,58,363.00	SBI 32084656047	0.00		16,72,71,341.39	INTEREST RECEIVABLE	14,82,05,170.36	14,82,05,170.36
5,99,86,647.28	M.P.M.F.CO-OP. FED. BHOPAL A/c -1 (Annexure -A)	5,99,86,647.28	73,45,05,969.87	0.41	Loss Recoverable From State Govt.(Salseed)	0.00	0.00
41,02,60,025.99	BIFURCATION DISPUTE WITH FED. BHOPAL A/c 2	41,02,60,025.99					
26,42,59,296.60	M.P.M.F.CO-OP. FED. BHOPAL A/C -3	26,42,59,296.60					
2,15,91,278.94	SUSPENSE A/C	2,05,05,903.94	2,05,05,903.94	19,40,665.00	TAX DEDUCTED AT SOURCE RECEIVABLE	24,29,959.00	24,29,959.00

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	PROFIT & LOSS A/C		14.00		GUNNY BAGS & TARPOLINE		1,41,04,395.78
13.00	A. Profit of Fed. (in Previous year)	13.00		1,41,04,395.78	Gunny Bags & Tarpoline(Bhopal)	1,41,04,395.78	
	B. Profit of Current Year	5,36,65,140.00			DUTIES & TAXES		15,32,24,455.63
	Total	5,36,65,153.00		7,41,975.21	Central Sales Tax	6,98,876.21	
	Less: Reserve Fund Created	5,36,65,139.00		8,40,00,510.00	Tax Deducted at Source (Bank)	12,02,30,480.39	
				2,10,959.35	Entry Tax (On sale)	0.00	
				76,40,458.96	VAT Receivable (2008-09)	76,40,458.96	
				0.00	VAT	2,46,54,640.07	
					CLOSING STOCK		29,97,98,054.52
				12,01,214.17	Gum	24,82,014.27	
				2,16,59,831.87	Harra	93,13,171.48	
				82,67,01,453.56	Tendu Patta	26,17,98,768.99	
				10,55,70,270.46	Sal Seed	2,62,04,099.78	
					CASH-IN-HAND		80,99,519.01
				1,52,40,867.00	FDR In Hand	80,99,517.00	
				27.01	Cash	2.01	
					GRAND TOTAL		8,23,33,32,771.69
10,66,58,32,058.56			8,23,33,32,771.69	10,66,58,32,058.56			8,23,33,32,771.69

Note :- 1- Certain receivable/Payable under CST/VAT from financial year 2007-08 onwards are not accounted for in the books of accounts as these receivable/payable are subject to final assessment by VAT authorities which are subject to judgement of Hon'ble Supreme Court wide order No. S.L.P (c) No. 12588/2011 dated 23-02-2012 and at present provision amount is not ascertainable.

2- Various account heads of M.P.MFP Fed, Bhopal in which no transaction are made/no entries are passed from 01-11-2000 onwards are appearing in Balance sheet under group of Sundry Creditors as **Annexure "A"**

3- The Provision of Development of Forest and Forest Produce and infrastructure development related to the year 1998, 1999+-2000 is not incorporated in corresponding ledgers.

Sd/-

ASST. ACCOUNT OFFICER

Sd/-

MANAGER (ACCTS.)

Sd/-

MANAGER (FINANCE)

Sd/-

MANAGING DIRECTOR



C.G. STATE MINOR FOREST PRODUCE (T&D) CO-OPERATIVE FEDERATION LTD., RAIPUR

Annexure "A" of Balance Sheet AS ON 31st MARCH' 2014

PREVIOUS YEAR AMT.	LIABILITIES	AMOUNT	PREVIOUS YEAR AMT.	ASSETS	AMOUNT
22,63,000.00	Grant in Aid	22,63,000.00	85,29,42,793.11	Advance to Distt. Union(Bhopal)	85,29,42,793.11
14,00,000.00	M.F.P. Operation- Processing Units & Small Godowns	14,00,000.00			
22,27,000.00	NTFP Plantation (Medicinal Plants)	22,27,000.00			
3,81,50,000.00	Godown Assistance	3,81,50,000.00			
30,57,321.00	Subsidy for Godowns From TRIFED	30,57,321.00			
6,00,000.00	Subsidy for Small Godowns	6,00,000.00			
9,38,96,542.04	Provision for T.P. Trade & Administrative Charges (New)	9,38,96,542.04			
23,52,776.68	Provision for Harra Trade Expenses (New)	23,52,776.68			
39,63,288.56	Provision for Sal Seed Trade Expenses (New)	39,63,288.56			
1,461.84	Provision for Other Gum Trade Expenses (New)	1,461.84			
2,024.00	Provision for Kullu Gum Trade Expenses (New)	2,024.00			
26,09,01,689.23	Provision for T.P. Trade & Admin. Charges (Old)	26,09,01,689.23			
3,50,956.43	Provision for Mahua Trade Expenses	3,50,956.43			
36,84,541.50	Provision for Harra Trade Expenses (Old)	36,84,541.50			
1,99,19,699.20	Provision for Sal Seed Trade Expenses (Old)	1,99,19,699.20			
5,09,30,873.30	Incentive Wages to Pluckers(Bhopal)	5,09,30,873.30			
9,88,14,052.72	PROFIT TO SOCIETIES(BHOPAL)	9,88,14,052.72			
33,03,50,213.89	ADVANCE FROM DISTT. UNION(BHOPAL)	33,03,50,213.89			
64,000.00	CASH IN TRANSIT	64,000.00			
91,29,29,440.39	GRAND TOTAL	91,29,29,440.39	85,29,42,793.11	GRAND TOTAL	85,29,42,793.11

5,99,86,647.28 Net transferred to Balance Sheet as M.P.M.F.P.CO-OP. FED.
BHOPAL A/c-1

Sd/-
ASST. ACCOUNT OFFICER

Sd/-
MANAGER (ACCTS.)

Sd/-
MANAGER (FINANCE)

Sd/-
MANAGING DIRECTOR

विषय क्रमांक - 6

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के अंकेक्षण टीप, अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान कारक उत्तर प्रेषित करने बाबत ।

पंजीयक सहकारी संस्थायें छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वर्ष 2000-01 से 2007-08 तक अंकेक्षण कार्य पूर्ण कर अंकेक्षण टीप पारित कर इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी । वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन, पारित आय व्यय पत्रक एवं बैलेंशशीट दिनांक 23.03.2013 को आयोजित तेरहवीं वार्षिक आमसभा मार्च में प्रस्तुत की गई थी । वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन, पारित आय व्यय पत्रक एवं बैलेंशशीट दिनांक 04.12.2013 को आयोजित चौदहवीं वार्षिक आमसभा में प्रस्तुत की गई थी ।

पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का समाधानकारक प्रतिवेदन पंजीयक सहकारी समितियों को संघ के क्रमशः पत्र क्रमांक 10745 दिनांक 03.10.2009, क्रमांक 11491 दिनांक 29.09.2012 एवं पत्र क्रमांक 11493 दिनांक 29.09.2012 द्वारा भेजा गया था जिसकी सूचना दिनांक 23.03.2013 को आयोजित तेरहवीं आमसभा में प्रस्तुत की गई थी एवं वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का समाधानकारक प्रतिवेदन पंजीयक सहकारी समितियों को संघ के क्रमशः पत्र क्रमांक 15008 दिनांक 13.12.2013, क्रमांक 15238 दिनांक 23.12.2013, पत्र क्रमांक 15266 दिनांक 24.12.2014, पत्र क्रमांक 133 दिनांक 02.01.2014 एवं पत्र क्रमांक 462 दिनांक 09.01.2014 द्वारा भेजा जा चुका है । इस प्रकार वनोपज संघ द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाओं को वर्ष 2007-08 तक के प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई आपत्तियों पर समाधान कारक उत्तर भेजा जा चुका है ।

अतः वनोपज संघ द्वारा वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के ऑडिट में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा उठाए गए आपत्तियों पर समाधान कारक उत्तर भेजे जाने संबंधी प्रतिवेदन संचालक मण्डल के अनुमोदन उपरांत आमसभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	विभागीय पद
1	2	3	4
1	श्री बी.एल.सरन (भा.व.से.)	प्रबंध संचालक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2	श्री बी.एल.सरन (भा.व.से.)	अपर प्रबंध संचालक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
3	श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल (भा.व.से.)	कार्यकारी संचालक	मुख्य वन संरक्षक
4	श्री व्ही.एस.लकड़ा (भा.व.से.)	महाप्रबंधक-1	वन संरक्षक
5	श्रीमती संजीता गुप्ता (भा.व.से.)	महाप्रबंधक-2	वन संरक्षक
6	श्री राजेश नन्होरिया (भा.व.से.)	उप महाप्रबंधक (उत्पादन/भण्डारण)	उप वनसंरक्षक
7	श्री यू.बी.एस.राठिया	सचिव	उप पंजीयक
8	श्री सी.एल.ठाकुर	प्रबंधक (वित्त)	उप पंजीयक
9	श्री एस.के.दत्ता	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)
10	श्री विवेक राय	प्रबंधक (लेखा)	प्रबंधक (लेखा)
11	श्री व्ही.के.सेन्दूर	उप प्रबंधक (उत्पादन/भण्डारण) (संविदा)	सहायक वन संरक्षक
12	श्री के.के.धनगर	स्टॉफ ऑफिसर	स्टॉफ ऑफिसर
13	श्री डी.के.श्रीवास्तव	सहायक लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी